प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 29 फरवरी, 2020

समय :- अपराह्न 04.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, प्राधिकरण भवन,
विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

आगामी 167वीं बोर्ड बैठक हेतु विचारणीय बिन्दु

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	08
03.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइड की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य।	20
04.	जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोडने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	34
05.	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में।	49
06.	गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पांच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।	64
07.	लीडा के अन्तर्गत नोटिफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात् कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में।	66
08.	लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के सम्बन्ध में।	71
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

Scanned with CamScanner

विषय संख्या : 01 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 06.11.2019 का कार्यवृत्त दिनांक 13.11.2019 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 06.11.2019 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **166वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल,** लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें:-

उपस्थितिः-

01.	श्री अभिषेक प्रकाश	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	सुश्री अपूर्वा दुबे	विशेष सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
06.	श्री सुनील चौधरी	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
08.	श्री बी0एल0 गौतम	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
09.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन।
10.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रतिनिधि-अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अन्य उपस्थितिः-

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री संदीप श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
166/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-7, 8 एवं 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-2 में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 के क्रम में पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
166/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
166/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट-नो लॉस" एवं शासन की

Scanned with CamScanner

		मंशानुरूप जन–सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अर्फोडेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 17 से 20 वर्ष पुराने 5 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गणना अनुभाग में एक अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट आऊटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात्, तत्समय से 06 माह की अवधि तक मूल्यांकन कार्य करने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को शासनादेशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को कम/फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित भूमि 12.32 हे0 की धनराशि रू0 160.42 करोड के सापेक्ष चक गंजरिया परियोजना में 9.74 एकड़ के सापेक्ष व्यवसायिक भूखण्ड सं0–ई–4 (2.74 एकड़), ई–6 (3.21 एकड़) एवं ई–7 (3.55 एकड़) अर्थात् कुल 9.5 एकड़ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने एवं शेष 0.24 एकड़ के मूल्य की धनराशि वाह्य विकास शुल्क/अन्य व्यय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/9	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रेण्ट अनुभाग में किराये पर आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की रेण्ट सम्पत्तियों के अन्तर्गत व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 के अनुसार उसका 25 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 में उल्लिखित व्यावसायिक दरों का आधा करने के पश्चात उसका 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही सम्बन्धित किरायेदार को रेण्ट बढ़ोत्तरी के साथ–साथ शासनादेशानुसार सम्पत्ति क्रय किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
166/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति के	सम्यक् विचारोपरान्त जो योजनाएं नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाइलॉज

Scanned with CamScanner

	सम्बन्ध में।	एप्रूवल करने के लिए प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
166/11	लखनऊ शहर के विभिन्न मार्गो पर निर्मित पुलों के रख–रखाव के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित–**"सहारा शहर से जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु"** एवं **"ग्वारी चौराहे से गोमती नगर विस्तार के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु"** (पुलों/आर0ओ0बी0/सड़क सहित) को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को स्वामित्व सहित हस्तान्तरित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
166/12	शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्थापितों को दिये गये भूखण्डों एवं प्रतिकर भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही 27 अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई वाद लम्बित है, तो उनके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय एवं गठित समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय, ताकि इस स्थिति का निस्तारण किया जा सके।
166/13	"लैण्ड पूलिंग स्कीम" के क्रियान्वयन हेतु नीति विषयक शासनादेश दिनांक 20.02.2019 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/14	लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना से प्रभावित काश्तकारों/भूमिधरों के विवादों का निस्तारण नये भू–अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश के क्रम में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं दर निर्धारित होने के पश्चात पुनः बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भविष्य में जब भी कार्य हो यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अधिकतम 3 या 4 जोन बनाकर ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्ट पर किसी एक ही एजेन्सी को एक जोन का कार्य दिया जाय, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं ड्रेनेज की लाइन में एकरूपता रहें।
166/15	बालू अड्डा प्रयाग नारायण रोड स्थित 339 अध्यासियों के भवनों की भूमि को काबिज व्यक्तियों के नाम समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/16	मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम–बाघामऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 मानचित्र पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 18.09.19 में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/17	अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 की स्थापना के क्रम में सी0जी0 सिटी योजना के संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान किये जाने तथा जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण के उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/18	गोमती नदी के दांये तट पर अमर शहीद पथ	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया

Scanned with CamScanner

	से पिपरा घाट तक बन्धा निर्माण किये जाने एवं उक्त कार्य के बजट, सिंचाई विभाग को प्रेषित करने तथा दिनांक 21.12.2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में संशोधन के क्रम में जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई समिति के निस्तारण उपरान्त उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	तथा शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/19	रेलवे लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटी (RLDA) के प्रस्तुत मानचित्रों के भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त महायोजना प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/20	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलाल गंज, लखनऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/21	नियोजन अनुभाग में 02 सहायक नगर नियोजक के समकक्ष एवं एक जी0आई0एस0 प्रशिक्षित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/22	मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ अन्तर्गत 04 आवासीय भूखण्डों तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सीपी–1 (क्षेत्रफल–1040.62 वर्गमी0) के इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/23	इण्डिस्ट्रियल योजना, ऐशबाग, लखनऊ के भूखण्ड सं0–09, 09ए तथा 10ए में सम्मिलित कुल भूमि क्षेत्रफल–2,91,896.00 वर्ग फिट अर्थात 27127.88 वर्गमी0 का भू–उपयोग पूर्व योजना के तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/24	कानपुर रोड योजना, सेक्टर–जी के अन्तर्गत एस0एस0 श्रेणी के भूखण्ड संख्या– 997 से 1027 भूमि का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/25	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
166/26	शहीद पथ पर पी0पी0पी0 मोड पर विकसित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल व क्रिकेट अकादमी योजना में भू–उपयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग की चौड़ाई में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

166/27	सुबेदार राजदेवी मेमोरियल, एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा ग्राम–भैसामऊ परगना–महोना, तहसील–बख्शी का तालाब, लखनऊ की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
166/28	सिन्डर्स डम्प योजना, लखनऊ के रि–रिवाईज्ड पार्ट इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ निर्मित व्यवसायिक भवनो के दृष्टिगत तलपट मानचित्र में आरक्षित पार्किंग स्थल को व्यवसायिक में तथा स्पेस फार क्योस्क को पार्किंग में परिवर्तन करने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/29	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के समय यह संज्ञान में आया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कानपुर रोड योजना (आशियाना) हेतु मेसर्स अंसल हाऊसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी लि0 एवं रायबरेली रोड योजना (रवि खण्ड, रक्षा खण्ड) हेतु मेसर्स एल्डिको हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लि0 तथा रायबरेली रोड योजना (रत्नाकर खण्ड) हेतु मेसर्स यूनिटेक लि0 से वर्ष 1987 एवं 1988 में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर विकसित किये जाने का निर्णय लेते हुए अनुबन्ध किया गया था। प्राधिकरण की मोहान रोड योजना भी उसी प्रकार प्रस्तावित की गयी है जिसका अर्जन एवं उस पर होने वाले व्यय प्राधिकरण द्वारा किया गया है। प्राधिकरण द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट मेसर्स जे0एल0एल0 द्वारा तैयार किये गये बिड डॉक्यूमेन्ट्स एवं आर0एफ0पी0 के अनुसार तथा ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट में तदनुसार समाविष्ट करते हुए निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर शासन के संज्ञान में लाते हुए विकसित कराये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेंस के आधार पर विकसित की गई योजनाओं में जन–सामान्य एवं आवंटियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके निराकरण को समावेश करते हुए कार्यवाही की जाए तथा रेरा अधिनियम के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आर्बिटेटर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे। आर्बिटेटर का निर्णय सभी उभय पक्षों को मान्य होगा। इस बात का समाविष्ट भी कर लिया जाए।
166/30	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटियों को आवंटित कुछ सम्पत्तियाँ अर्जनीय/सीमांकन/न्यायालय में विवाद या न्यायालय के निर्णय आदि होने के कारण अन्य योजनाओं में सम्पत्तियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/31	व्योम खण्ड, गोमती नगर विस्तार के आवंटियों को बसंतकुंज योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि अब इस प्रकार का कोई भी

Scanned with CamScanner

		प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पत्ति अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र/आख्या भी प्राप्त कर ली जाय और उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर न बनाया जाय।
166/32	जानकीपुरम योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए तथा सी–1/362ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/33	जनपद–लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तद्नुसार मान्यता प्रदान की गई।
166/35	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या– SSE–87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/36	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मस्तेमऊ व बक्कास जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

8/11/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित
11/XI/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण की 166वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
अनुपालन	नोट किया गया।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट–नो लॉस" एवं शासन की मंशानुरूप जन–सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अर्फोडेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।
विषय संख्या : 4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 17 से 20 वर्ष पुराने 5 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

विषय संख्या : 5 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 6 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के गणना अनुभाग में एक अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट आऊटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात्, तत्समय से 06 माह की अवधि तक मूल्यांकन कार्य करने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को शासनादेशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : — प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में ओ0टी0एस0 योजना प्रारम्भ होने पर कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 7 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को कम/फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 8 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित भूमि 12.32 हे0 की धनराशि रू0 160.42 करोड के सापेक्ष चक गंजरिया परियोजना में 9.74 एकड़ के सापेक्ष व्यवसायिक भूखण्ड सं0–ई–4 (2.74 एकड़), ई–6 (3.21 एकड़) एवं ई–7 (3.55 एकड़) अर्थात् कुल 9.5 एकड़ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने एवं शेष 0.24 एकड़ के मूल्य की धनराशि वाह्य विकास शुल्क/अन्य व्यय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासन को पत्र संख्या–400/वीसी/ए0ए0सी0जी0सिटी/जोन–1 दिनांक 13.12.2019 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शासन व

Scanned with CamScanner

सी0जी0 सिटी योजना हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्णय उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 9 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रेण्ट अनुभाग में किराये पर आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की रेण्ट सम्पत्तियों के अन्तर्गत व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 के अनुसार उसका 25 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 में उल्लिखित व्यावसायिक दरों का आधा करने के पश्चात उसका 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही सम्बन्धित किरायेदार को रेण्ट बढ़ोत्तरी के साथ-साथ शासनादेशानुसार सम्पत्ति क्रय किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभिन्न योजनाओं की रेण्ट सम्पत्तियों का गणना अनुभाग द्वारा कवर्ड एरिया के सापेक्ष रू0 प्रति वर्ग मीटर गुणांक दर का मूल्यांकन किया गया है, अधिकांश सम्पत्तियों की पत्रावलियों पर कवर्ड एरिया उपलब्ध नहीं है, जिस हेतु पत्रावलियाँ नियोजन विभाग को प्रेषित की गयी ळै। शेष पत्रावलियाँ जिनमें कवर्ड एरिया उपलब्ध है, उन पर नोटिसें प्रेषित की जा रहीं है।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त जो योजनाएं नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाइलॉज एप्रूवल करने के लिए प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पत्र संख्या-681/ए0ए0/जी0एन0वी0/19 दिनांक 20.11.2019 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया।

विषय संख्या : 11 लखनऊ शहर के विभिन्न मार्गो पर निर्मित पुलों के रख-रखाव के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित– "सहारा शहर से जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु" एवं "ग्वारी चौराहे से गोमती नगर विस्तार के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु" (पुलों/आर0ओ0बी0/सड़क सहित) को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को स्वामित्व सहित हस्तान्तरित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 02.12.2019 को निम्नलिखित 02 मार्गों को आर0ओ0बी0 सहित निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को हस्तांतरित किया गया:–

- गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में अवध स्कूल चौराहे से जनेश्वर मिश्र पार्क होते हुए ग्वारी रेलवे क्रासिंग तक पुल /आर0ओ0बी0 सहित सड़क (शहरी)।
- ग्वारी चौराहे से गोमती नगर विस्तार स्थित सी0एम0एस0 स्कूल एवं रेलवे क्रासिंग तक पुल/आर0ओ0बी0 सहित सड़क (शहरी)।

<u>विषय संख्या : 12</u> शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्थापितों को दिये गये भूखण्डों एवं प्रतिकर भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही 27 अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई वाद लम्बित है, तो उनके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय एवं गठित समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय, ताकि इस स्थिति का निस्तारण किया जा सके।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही गतिमान है।

<u>विषय संख्या : 13</u> "लैण्ड पूलिंग स्कीम" के क्रियान्वयन हेतु नीति विषयक शासनादेश दिनांक 20.02.2019 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी (लैण्ड पूलिंग स्कीम) को विभागीय पत्र संख्या–799 /एसी0/तह0/2019 दिनांक 16.11.2019 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

<u>विषय संख्या : 14</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना से प्रभावित काश्तकारों/भूमिधरों के विवादों का निस्तारण नये

Scanned with CamScanner

भू–अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश के क्रम में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं दर निर्धारित होने के पश्चात पुनः बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भविष्य में जब भी कार्य हो यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अधिकतम 3 या 4 जोन बनाकर ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्ट पर किसी एक ही एजेन्सी को एक जोन का कार्य दिया जाय, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं ड्रेनेज की लाइन में एकरूपता रहें।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही गतिमान है।

विषय संख्या : 15 बालू अड्डा प्रयाग नारायण रोड स्थित 339 अध्यासियों के भवनों की भूमि को काबिज व्यक्तियों के नाम समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में लेखा विभाग से गणना कराकर पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करने हेतु सभी सम्बन्धित कब्जा धारक अध्यासियों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर दिये गये है।

विषय संख्या : 16 मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम–बाघामऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 मानचित्र पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 18.09.19 में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पक्ष द्वारा डी0पी0आर0 संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रहीं है। औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त ही डी0पी0आर0 निर्गत किया जायेगा।

विषय संख्या : 17 अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 की स्थापना के क्रम में सी0जी0 सिटी योजना के संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान किये जाने तथा जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण के उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 20.11.2019 को दो समाचार पत्रों आज, इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकरण के पत्र संख्या–707/वी.सी./बल्कसेल/19 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। सी0जी0 सिटी योजना के संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.12.2019 को अनुमोदित किया गया। अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्र सं0–878/सी0टी0पी0/19 दिनांक 10.12.2019 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जोन–1 एवं प्रभारी अधिकारी–बल्कसेल एवं प्रभारी अधिकारी–सम्पत्ति को अनुमोदित संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र की एक–एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

विषय संख्या : 18 गोमती नदी के दांये तट पर अमर शहीद पथ से पिपरा घाट तक बन्धा निर्माण किये जाने एवं उक्त कार्य के बजट, सिंचाई विभाग को प्रेषित करने तथा दिनांक 21.12.2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में संशोधन के क्रम में जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई समिति के निस्तारण उपरान्त उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र सं0–760/AA/01/NV/2020 दिनांक 01.01.2020 द्वारा निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान लखनऊ, जी0ओ0सी0, मध्य यू0पी0, सब एरिया लखनऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखनऊ कैन्टोमेन्ट लखनऊ को दिनांक 16.01.2020 को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु कतिपय कारणोवश से स्थल निरीक्षण स्थगित किया गया

विषय संख्या : 19 रेलवे लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटी (RLDA) के प्रस्तुत मानचित्रों के भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त महायोजना प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित

Scanned with CamScanner

करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–845/सचिव/सी.टी.पी./19 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 20 उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलाल गंज, लखनऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पक्ष द्वारा डी0पी0आर0 संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रहीं है। औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त ही डी0पी0आर0 निर्गत किया जायेगा।

विषय संख्या : 21 नियोजन अनुभाग में 02 सहायक नगर नियोजक के समकक्ष एवं एक जी0आई0एस0 प्रशिक्षित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियोजन अनुभाग में एक जी0आई0एस0 प्रशिक्षित आउटसोसिंग के माध्यम से मे0 शान कम्प्यूटर सेन्टर से सेवाएं ली जा रही हैं तथा नियोजन अनुभाग में उ0 प्र0 शासन द्वारा नगर नियोजक आंशिक रूप से पदस्थ हुये हैं।

विषय संख्या : 22 मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ अन्तर्गत 04 आवासीय भूखण्डों तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सीपी–1 (क्षेत्रफल–1040.62 वर्गमी0) के इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ अन्तर्गत 04 आवासीय भूखण्डो तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सीपी–1 (क्षेत्रफल–1040.62 वर्गमी0) के इक्जीक्यूशन प्लान अनुमोदन हेतु तैयार किया गया है। उक्त इक्जीक्यूशन प्लान अनुमोदन की प्रकिया में है।

Scanned with CamScanner

विषय संख्या : 23 इण्डिस्ट्रियल योजना, ऐशबाग, लखनऊ के भूखण्ड सं0–09, 09ए तथा 10ए में सम्मिलित कुल भूमि क्षेत्रफल–2,91,896.00 वर्ग फिट अर्थात 27127.88 वर्गमी0 का भू–उपयोग पूर्व योजना के तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में पार्ट तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। उक्त पार्ट तलपट मानचित्र पर जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र आज एवं द पॉयनियर के दिनांक 24.11.2019 के अंक में सूचना का प्रकाशन कराया गया। उक्त प्रकाशन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

विषय संख्या : 24 कानपुर रोड योजना, सेक्टर–जी के अन्तर्गत एस0एस0 श्रेणी के भूखण्ड संख्या–997 से 1027 भूमि का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कानपुर रोड योजना, सेक्टर–जी के अन्तर्गत एस0एस0 श्रेणी के भूखण्ड संख्या–997 से 1027 भूमि का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में उक्त योजना का तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। उक्त तलपट मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

विषय संख्या : 25 भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या–841/सी.टी.पी./2019 दि. 19.11.2019 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को राय प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 26 शहीद पथ पर पी0पी0पी0 मोड पर विकसित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल व क्रिकेट अकादमी योजना में भू–उपयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग की चौड़ाई में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–859/सचिव/सी.टी.पी./19 दिनांक 27.11.2019 के माध्यम प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 27 सुबेदार राजदेवी मेमोरियल, एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा ग्राम–भैसामऊ परगना–महोना, तहसील–बख्शी का तालाब, लखनऊ की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण पत्र संख्या–844/सचिव/सी.टी.पी./19 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र सन्दर्भित है।

विषय संख्या : 28 सिन्डर्स डम्प योजना, लखनऊ के रि–रिवाईज्ड पार्ट इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ निर्मित व्यवसायिक भवनो के दृष्टिगत तलपट मानचित्र में आरक्षित पार्किंग स्थल को व्यवसायिक में तथा स्पेस फार क्योस्क को पार्किंग में परिवर्तन करने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.11.19 का अनुमोदित किया गया, जो अधिशासी अभियन्ता जोन–3 एवं प्रभारी अधिकारी–सम्पत्ति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 29 लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के समय यह संज्ञान में आया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कानपुर रोड योजना (आशियाना) हेतु मेसर्स अंसल हाऊसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी लि0 एवं रायबरेली रोड योजना (रवि खण्ड, रक्षा खण्ड) हेतु मेसर्स एल्डिको हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लि0 तथा रायबरेली रोड योजना (रत्नाकर खण्ड) हेतु मेसर्स यूनिटेक लि0 से वर्ष 1987 एवं 1988 में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर विकसित किये जाने का निर्णय लेते हुए

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध किया गया था।

प्राधिकरण की मोहान रोड योजना भी उसी प्रकार प्रस्तावित की गयी है जिसका अर्जन एवं उस पर होने वाले व्यय प्राधिकरण द्वारा किया गया है। प्राधिकरण द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट मेसर्स जे0एल0एल0 द्वारा तैयार किये गये बिड डॉक्यूमेन्ट्स एवं आर0एफ0पी0 के अनुसार तथा ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट में तदनुसार समाविष्ट करते हुए निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर शासन के संज्ञान में लाते हुए विकसित कराये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेंस के आधार पर विकसित की गई योजनाओं में जन–सामान्य एवं आवंटियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके निराकरण को समावेश करते हुए कार्यवाही की जाए तथा रेरा अधिनियम के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आर्बिटेटर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे। आर्बिटेटर का निर्णय सभी उभय पक्षों को मान्य होगा। इस बात का समाविष्ट भी कर लिया जाए।

<u>अनुपालन :</u> बोर्ड बैठक द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में मोहान रोड आवासीय योजना को प्राधिकरण द्वारा चयनित कन्सल्टेन्ट मेसर्स जे0एल0एल0 द्वारा तैयार किये गये बिड् डॉक्यूमेन्ट्स (आर0एफ0पी0 एवं कन्सेशन एग्रीमेन्ट) के आधार पर निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर विकसित किये जाने हेतु शासन को पत्र संख्या–1037 / उपा0 / अ0अ0–3 / 19, दिनांक 23.11.2019 के द्वारा प्रश्नगत योजना में अब तक हुई कार्यवाही शासन के संज्ञान में लाते हुए अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है, जिस पर शासन से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

<u>विषय संख्या : 30</u> प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटियों को आवंटित कुछ सम्पत्तियाँ अर्जनीय / सीमांकन / न्यायालय में विवाद या न्यायालय के निर्णय आदि होने के कारण अन्य योजनाओं में सम्पत्तियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

<u>विषय संख्या : 31</u> व्योम खण्ड, गोमती नगर विस्तार के आवंटियों को बसंतकुंज योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि अब इस प्रकार का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पत्ति अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र / आख्या भी प्राप्त कर

Scanned with CamScanner

ली जाय और उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर न बनाया जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

<u>विषय संख्या : 32</u> जानकीपुरम योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए तथा सी–1/ 362ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को रिवाईज्ड पार्ट एक्जीक्यूशन प्लान अनुमोदित किया गया, जो अधिशासी अभियन्ता जोन–5 एवं प्रभारी अधिकारी–सम्पत्ति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

<u>विषय संख्या : 33</u> जनपद–लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोडने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में आपत्ति/सुझाव का प्रकाशन कराया गया, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। तदपश्चात रिवाईज्ड पार्ट ले–आउट प्लान तैयार किया गया है, जो अनुमोदन की प्रकिया में है।

<u>विषय संख्या : 34</u> उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तद्नुसार मान्यता प्रदान की गई।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–864/सचिव/सी.टी.पी./19 दिनांक 21.11.2019 के माध्यम से आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

<u>विषय संख्या : 35</u> सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड

Scanned with CamScanner

संख्या–SSE–87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड सं0–SSE-87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE-163 तक निर्मित भवनो के इक्जीक्यूशन प्लान तैयार किया गया है, जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

विषय संख्या : 36 उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मस्तेमऊ व बक्कास जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पक्ष द्वारा डी0पी0आर0 संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रहीं है। औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त ही डी0पी0आर0 निर्गत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के माध्यम से अवस्थापना सुविधा से विकास मद में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों को बोर्ड बैठक से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना की मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य का आगणन तैयार करते हुए उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त पत्रांक 864/सचिव/ई.ई.–2/19 दिनांक 16.11.2019 के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 03 प्रतियों में संलग्न करते हुए धनांक रू0 21,33,82,058.00 (रू0–इक्कीस करोड़, तैंतीस लाख, बयासी हजार, अट्ठावन मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी, शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य की स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 के क्रम में तथा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के आलोक में प्रश्नगत कार्य को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा संचालित समग्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण उपरान्त कार्य की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी से परीक्षण कराते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता जोन-2
ल0 वि0 प्रा0

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

Scanned with CamScanner

पत्रांकः– 864/सचिव/EE-2/19
दिनांकः– 16-11-2019

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
आवास एंव शहरी नियोजन विभाग–1,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषयः– यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य।

महोदय,

कृपया यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु अनु सचिव उ0प्र0 के पत्र संख्याः 8–1002(099)/18/2019–1 दिनांक 08 अगस्त, 2019 के द्वारा जन सामान्य के आवश्यकता के दृष्टिगत यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु धनांक रू0 21,33,82,058.00 मात्र (रूपये इक्कीस करोड़ तैंतीस लाख बयासी हजार अट्ठावन मात्र) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में प्रयुक्त दरें पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 2018–19 की दरों पर आधारित हैं, जिसका तकनीकी परीक्षण पी.ए. (तकनीकी) मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव की दो प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं कि उक्त प्रस्ताव को समग्र विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

16/11/19
(एम0पी0 सिंह)
सचिव

Scanned with CamScanner

(6) पृष्ठ संख्या

उपाध्यक्ष

विवेचन व आदेश

निर्माण/विकास कार्यों का आगणन
प्रस्ताव का प्रारूप संख्या–1

उपाध्यक्ष,

क्र0 सं0	अपेक्षित विवरण	स्थिति
1	योजना का नाम	कानपुर रोड योजना
2	कार्य का नाम	यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सडको एवं जोनल सडक सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सडक सुदृढीकरण निर्माण का कार्य।
3	आगणन की धनराशि	रू. 21,33,82,058.00 (जी.एस.टी. तथा लेबर सेस सहित)
4	प्रस्तावित मुख्य विशिष्टियॉं	IRC SP 98-2013 के अनुसार सडक निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जायेगा।
5	आगणन की दरों का आधार 1. लोक निर्माण 2. डी0एस0आर0 3. नान शिड्यूल दर (यदि कोई हो)	प्राधिकरण एस0ओ0आर0 2018–19 एवं विश्लेपित दरें।
6	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण	कानपुर रोड योजना के मुख्य सडको एवं जोनल सडक सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सडक सुदृढीकरण निर्माण का कार्य।
7	वित्तीय स्रोत (प्राधिकरण, अवस्थापना, शासकीय निधि, समग्र विकास निधि व अन्य)	समग्र विकास निधि।
8	बजट मद एवं प्राविधान	–
9	बजट/उक्त मदों में अवशेष धनराशि	–
10	प्रस्तावित कार्य स्थल के सत्यापित फोटोग्राफ	संलग्न है।
11	कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि एवं बार चार्ट	9 माह।
12	तलपट मानचित्र पर कार्य स्थल की स्थिति	संलग्न है।
13	प्रस्तावित कार्य की विस्तृत डिजाइन ड्राइंग संलग्न है अथवा नहीं?	आवश्यक नही।
14	विकास कार्य/भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य विशिष्ट कार्यों हेतु मानचित्र के स्वीकृति की स्थिति।	आवश्यक नही।
15	कार्य स्थल की भूमि अर्जित, भौतिक कब्जा प्राप्त एवं अविवादित होने का प्रमाण पत्र	कानपुर रोड योजना नगर निगम को हस्तान्तरित है, नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है।
16	कार्य का औचित्य एवं आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी	कृपया दांयी ओर संलग्न अनुसचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 8–1002 (099)/18/2019 दिनांक 08.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत आने वाले वार्डो में मुख्य एवं जोनल सडकों के अनुरक्षण हेतु मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह के पत्रांक 383/वी. आई.पी./रा.मं./2019 दिनांक 18.07.2019 पर प्रकरण का परीक्षण कराकर सुविचारित आगणन औचित्य सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर

संख्या

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

लo विo प्राo

विवेचन व आदेश

		एo गाम नियोजन विभाग, लखनऊ/शासन के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में आगणन तैयार किया गया है।
17	प्रस्तावित कार्य से प्राधिकरण व जन सामान्य के लिए उपयोगिता/लाभ का विवरण।	क्रमांक 16 के अनुसार।
18	स्थल पर कार्य प्रथम बार प्रस्तावित किये जाने का प्रमाण पत्र।	क्रमांक-16 के अनुसार।
19	सुदृढ़ीकरण व मरम्मत कार्य इससे पूर्व कब कराया गया, साक्ष्य सहित।	क्रमांक-16 के अनुसार।
20	पूर्व स्वीकृत व निर्मित किसी अन्य कार्य को समय से पहले प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण के आगणन मे सम्मिलित तो नही किया गया है? यदि सम्मिलित है तो औचित्य?	उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्तावित व्ययानुमान पूर्व स्वीकृत व निर्मित किसी अन्य कार्य में शामिल नही है।
21	अधिशासी अभियन्ता की कार्य के औचित्य व उपयोगिता के संबंध मे स्पष्ट संस्तुति है?	यातायात सुधार सम्बन्धित कानपुर रोड योजना के जोनल एवं मुख्य सडकों पर सडक सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एव सडक सुदृढीकरण के कार्य जनहित मे कराये जाने आवश्यक हैं।
22	प्रस्तुत आगणन स्वीकृत योग्य है अथवा नही?	स्वीकृति योग्य है।

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु स्थल की आवश्यकता को देखते हुए आगणन तैयार किया गया है जिसके अनुसार आगणन धनांक रू. 21,33,82,058.00 मात्र आ रहा है। आगणन मे दरें प्राधिकरण एस0आं0आर0 2018–19 एव विश्लेषित दरों पर आधारित हैं। आगणन की जांच पी0ए0टी0 द्वारा पूर्व पृष्ठ–4 व 5 पर दिनांक 16.10.2019 को की जा चुकी है। आगणन को आगणन समिति मे रखे जाने का निर्देश मुख्य अभियता महोदय द्वारा दिया गया है।

अतः आगणन धनांक रू. 21,33,82,058.00 (रू. इक्कीस करोड तैंतीस लख बयासी हजार अट्ठावन मात्र) की प्रशासनिक, तकनीकी एव वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ शासन द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

4591/EE 24
18.10.19

2701/EE(SG)
19/10/19

प्रस्तुतकर्ता,

18/10/19

अधिशासी अभियन्ता, जोन–2

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
ल0वि0प्रा0, लखनऊ
पत्रांक सं0 520/CE/SG/19
दिनांक 24-10-19
R-30-10-19

कृपया उपरोक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता, जोन–2 की विस्तृत आख्या के क्रम आगणन स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

19/10/19

अधीक्षण अभियन्ता,

उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0
फाइल नं0 2607
दिनांक 24/10/19
संलग्न ......
गोमती नगर

अधिशासी अभियन्ता जोन–2 की उपरोक्त अनुशंसा के क्रम में समिति व्ययानुमान धनांक 21,33,82,058.00 (रू. इक्कीस करोड तैंतीस लख बयासी हजार अट्ठावन मात्र) की प्रशासनिक, तकनीकी एव वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ शासन द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

फाइल संख्या

कार्यालय सचिव
4226
24/10/19
25/10/19

(इन्दु शेखर सिंह)	(राजीव कुमार सिंह)	(एम0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता	वित्त नियंत्रक	सचिव

24/10/19

EE-2

उपाध्यक्ष

30/10/19

AE/Pvt.

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या : 114 /आठ–1–20

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ/अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2020

विषय: अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान संख्या–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के अनुसार परियोजना स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– संलग्न सूची की परियोजनाओं के सम्मुख अंकित पत्र द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से कराकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु अभी तक वांछित सूचना प्रतीक्षित है। आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तथा उक्त मद के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र निर्गत किया जाना है।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न सूची में अपने से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति बोर्ड से कराकर तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं शासन को दिनांक 20 जनवरी, 2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को आहूत मासिक समीक्षा बैठक में उक्त सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करें। प्रकरण में समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

D:/Yadavji/Final/Awneesh Sir /GO 2019

Scanned with CamScanner

अवस्थापना सुविधा के विकास मद में अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों का विवरण :–

क्र0 सं0	मद का नाम	अद्यतन स्थिति
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड याजना के मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क संदृढ़ीकरण निर्माण कार्य।	शासन के पत्र संख्या–2203/आठ–1–19–138बजट/2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
2	जनपद लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रों स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या–2034/आठ–1–19–आई0जी0आर0एस057/19, दि0 06.11.19 एवं अनुस्मरण पत्र संख्या–2260/आठ–1–20–आई0जी0आर 0एस057/2019, दिनांक 03.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर डी0पी0आर0 पर संबंधित अभियंताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
3	जनपद–अयोध्या में सौर ऊर्जा के स्थापना सम्बंधी कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या–2204/आठ–1–19–137बजट/2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर सुविचारित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
4	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के संबंध में	शासन के पत्र संख्या–2504/आठ–1–19–157बजट/2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।

Scanned with CamScanner

प्रेषक, संख्या– 834/आठ–1–19...../2019

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला...
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

5. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

6. नगर आयुक्त
समस्त नगर निगम,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 06 2019

विषयः– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–150/आठ–1–19–58 ..... दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों के सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

(1) यातायात सुधार सम्बंधी कार्य।
(2) मिसिंग लिंक रोड सम्बंधी कार्य।
(3) पार्किंग निर्माण सम्बंधी कार्य।
(4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बंधी कार्य।
(5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बंधी कार्य।
(6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बंधी कार्य।
(7) जलाशयों (वाटरबाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बंधी कार्य।

A.P.O.O-19

Scanned with CamScanner

(8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य।

(9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बंधी कार्य।

(10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बंधी कार्य।

(11) पार्को की स्थापना सम्बंधी कार्य।

(12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बंधी कार्य।

3- सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-333/आठ-1-19-50 [illegible]/2019 दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त नयी नाली [illegible] एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बंधी कार्य भी सम्मिलित किये [illegible] लिया गया।

4- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त विद्युतीकरण, सीवर लाइन, एस0टी0पी0, जलापूर्ति एवं जल संरक्षण सम्बंधी कार्य भी समाहित किये जाने [illegible] लिया गया है।

5- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त [illegible] कार्यो से ही सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन [illegible], उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6- शासनादेश दिनांक 18.02.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(नितिन [illegible])
प्रमुख [illegible]

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, [illegible]
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश [illegible] द्विवेदी)
[illegible]

28

File No.8-1002(099)/18/2019- -1-

187091
14.8.19

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 08 अगस्त 2019

विषयःजनपद लखनऊ के अन्तर्गत सरोजनीनगर के अन्तर्गत आने वाले वार्डो में मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़कों के निर्माण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती स्वाती सिंह, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आई0आई0, बाढ नियंत्रण कृशि निर्यात, कृशि विपणन, कृशि विदे । व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं ि । ु कल्याण, उ0प्र0 भासन के पत्र दिनांक 18.07.2019 की छायाप्रति सलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गाईडलाइन सम्बंधी भासनादे । संख्या–834/आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 के आलोक में विशयगत प्रकरण का परीक्षण कराकर सुविचारित आगणन औचित्य सहित प्रस्ताव यदि रू0 05 करोड़ तक के है तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ के माध्यम से तथा रू0 05 करोड से अधिक के प्रस्ताव सीधे भासन को भीघ्र उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signature valid

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

AE Sh Sain / Sh Alok / Sh P.k.
कार्यवाही / प्रस्ताव प्रस्तुत करें
19/08/19

JB Sh Suresh
JB Sh Gaur
16/8/2019

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

स्वाति सिंह

[illegible]

मा० मुख्यमंत्री जी।

मेरे विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत [illegible] शहरी एवं आंतरिक सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है। सड़कों पर [illegible] हो गये हैं जिस कारण से वहां की स्थानीय जनता आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त सड़कों का निर्माण कार्य [illegible] कराया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वार्डों की सड़कों का निर्माण कार्य नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से जनहित में कराए जाने हेतु [illegible] आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

सादर,

18.07.2019
(स्वाति सिंह)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
[illegible]
महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण [illegible]
उ० प्र० सरकार

प्रमुख सचिव आवास

प्रा० स० सी० एम०-1
24 JUL 2019
17224/PSMO/19

VS(PK)/504

26-07-19
(डा० देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ० प्र० शासन

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Strengthening of Road Work Near Krishna Devi Girls Inter Collage & Gole market and Connecting roads to CMS School in Sectro-D And; From Bijnore road, Sector J Intersection to Kanpur road Via Gautam Budha Shanti Upwan Park-3, in Kanpur Road, Lucknow.

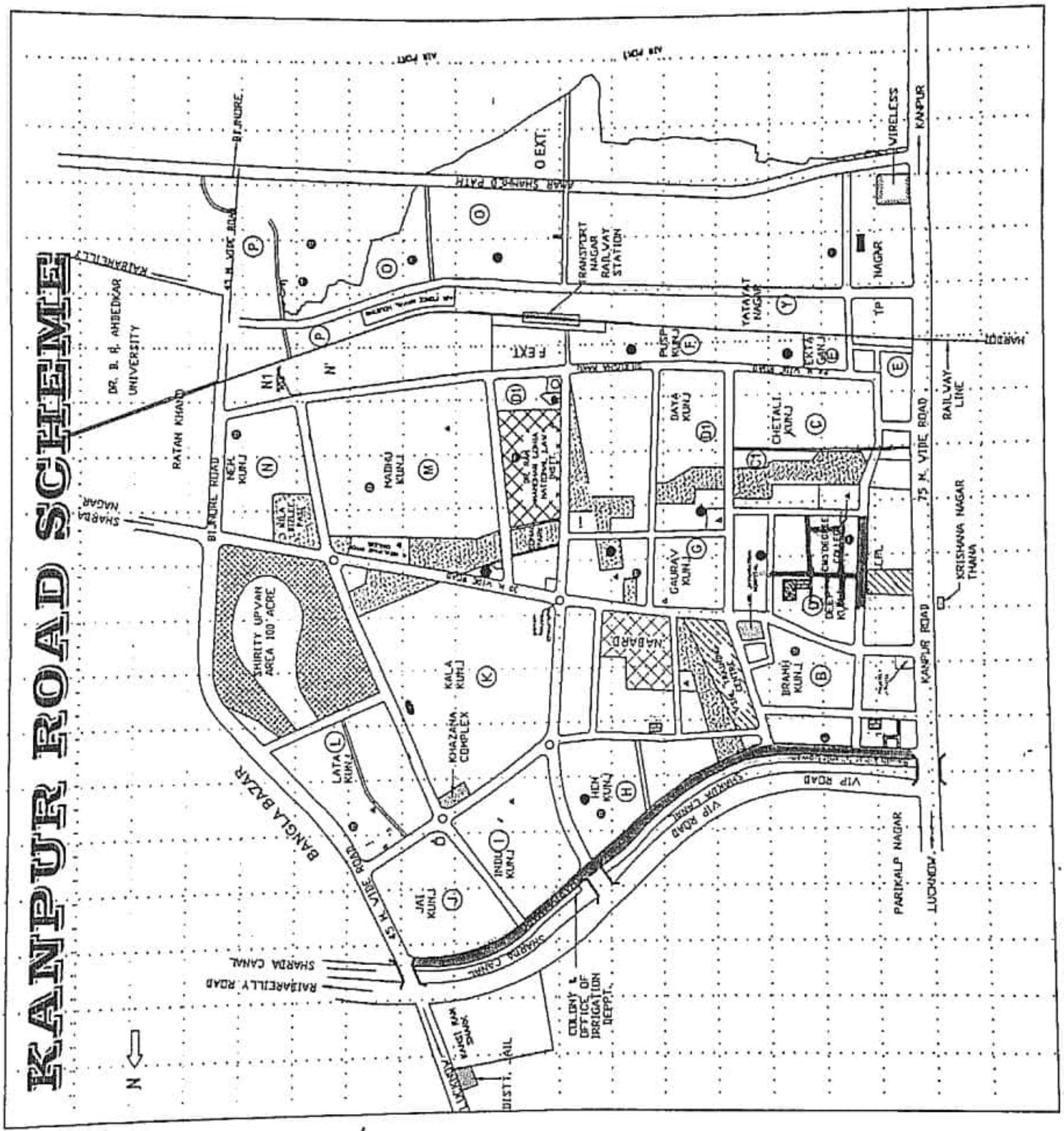

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Strengthening of Road Work From Uttarmukhi Hanuman Mandir Sector-I to Chungi Parag Road Via Khajana Chauraha, Smriti Upwan and Pasi Quila And; From Quila Chauraha to Power House Chauraha in Kanpur Road Scheme, Lucknow.

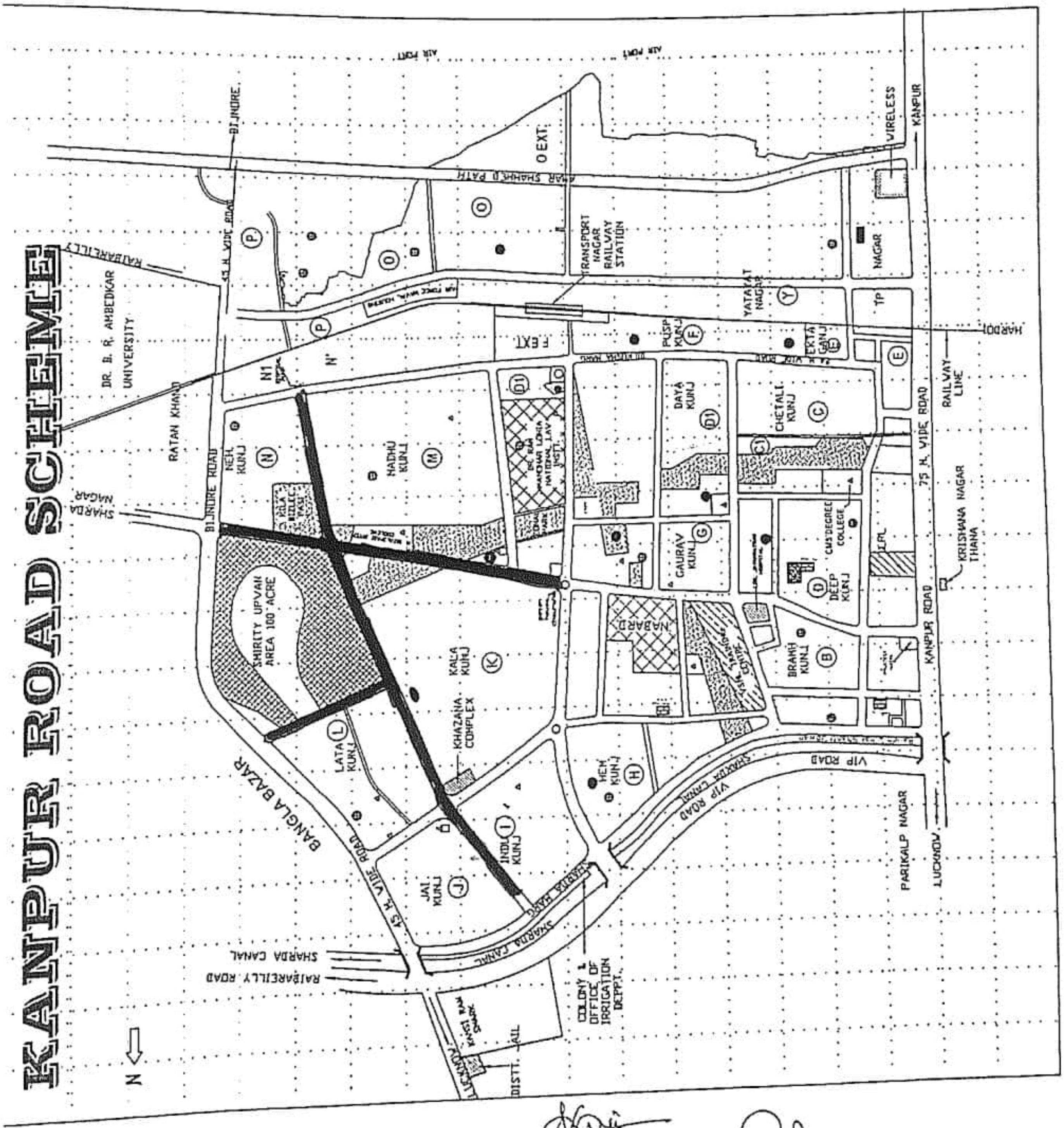

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Strengthening of Road Work from Pakri Puliya Crossing to Ashiyana Chauraha, Power House Crossing to Charan Singh Chaurha, Zonal Park to Springdale School in Kanpur Road Scheme And; From Bijnore road to Sector-F community Center, Sector-E to Kanpur Road and in Sector-C in Kanpur Road, Lucknow.

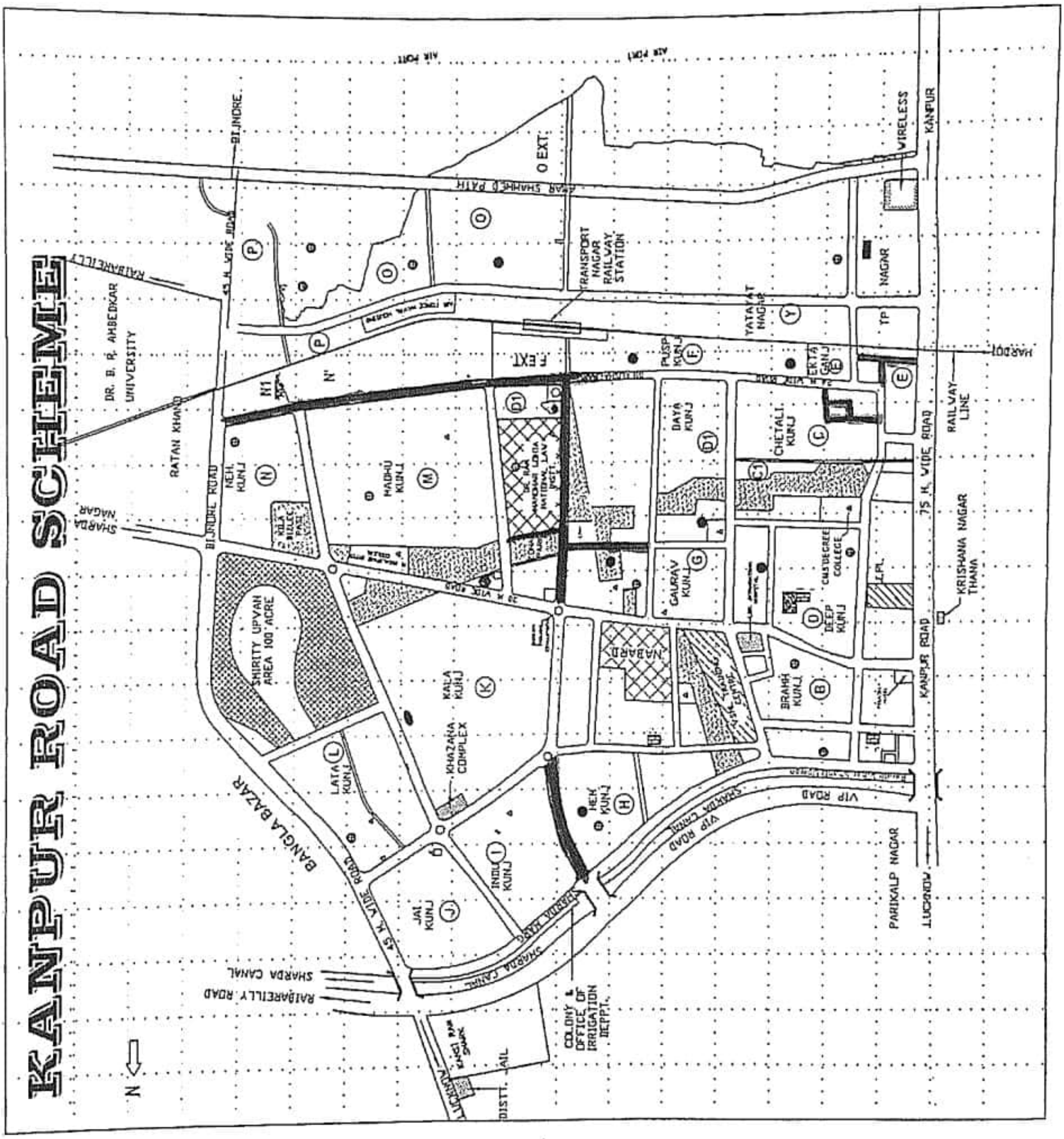

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Strengthening of Road Work From Sky Hilton to Parag Road And; From Bangla Bazar Crossing to Hotel Sky Hilton, Sector-L 12 Mt WD road upto Jalvayu Vihar and Annapurna Complex to Gautam Budha Shanti Upwan Park No-1 in Kanpur Road Scheme, Lucknow.

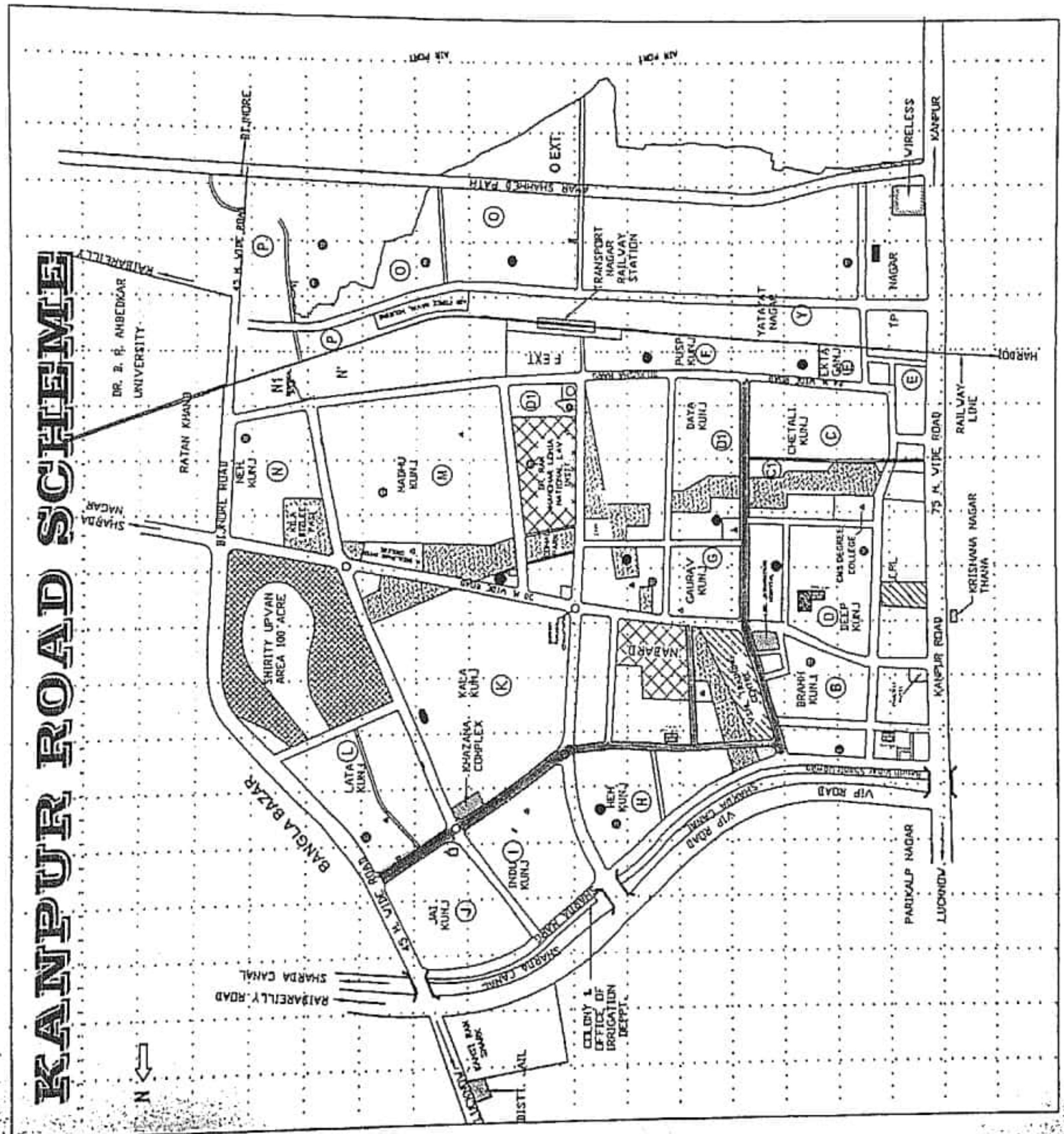

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

<u>विषयः</u> जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रों रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के माध्यम से अवस्थापना सुविधा से विकास मद में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों को बोर्ड बैठक से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रों रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य का आगणन तैयार करते हुए उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त पत्र संख्या 735/सचिव/ई.ई.–2/19 दिनांक 10.10.2019 के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 03 प्रतियों में संलग्न करते हुए धनांक रू0 11,089.20 लाख (रू0–एक सौ दस करोड़, नवासी लाख, बीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी, शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य की स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 के क्रम में तथा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के आलोक में प्रश्नगत कार्य को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा संचालित समग्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण उपरान्त कार्य की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी से परीक्षण कराते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सुरेश कुमार   स0अ0   ...कारी अभियन्ता जोन-2
ल0 वि0 प्रा0

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

Scanned with CamScanner

35

पत्रांक : 735/सचिव/GE-2019
दिनांक : 10-10-19

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1,
लखनऊ।

विषय : ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य।

महोदय,

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–आई.जी.आर.एस.–57/आठ–1–19–आई.जी.आर.एस.57(11)/2019 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा जन सामान्य की आवश्यकता के दृष्टिगत ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु रू. 11089.20 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में प्रयुक्त दरें पी.डब्लू.डी. एस.ओ.आर. 2018 एवं डी.एस.आर. 2018 की दरों पर आधारित है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव की दो प्रतियां इस अनुरोध से संलग्न कर प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव को समग्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

09/10/19

(एम0पी0 सिंह)
सचिव,

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवलोकनार्थ।
2. अनु सचिव आवास एवं शहरी नियोन अनुभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र संख्या आई.जी.आर.एस.–57/2019 दिनांक 23.04.2019 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 09/10/19

17

Scanned with CamScanner

विवेचन आदेश पृष्ठ संख्या -

सहा०अभि० / अधि०अभि०, जोन–2

कृपया ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एंव ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–आई०जी०आर०एस० 57 (II) / 2019 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा 57 / आठ–1–19–आई०जी०आर०एस० जनसामान्य की आवश्यकता के दृष्टिगत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवी पार्किंग एंव ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवी पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु रू० 11089.20 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है. प्रस्ताव में प्रयुक्त दरें पी०डब्लू०डी० एस०ओ०आर० 2018 एंव डी०एस०आर० 2018 की दरों पर आधारित है। आगणन की जांच पी०ए०सी० द्वारा पूर्व पृष्ठ संख्या–05 पर दिनांक 14.06.2019 को की जा चुकी है एंव पत्रावली के नोट पृष्ठ संख्या 07 पर समिति द्वारा आगणन धनांक रू० 11089.20 लाख (ग्यारह हजार नवासी दशमलव बीस लाख) की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुशंसा के साथ–साथ शासन द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत डी०पी०आर० शासन को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। अधीक्षण अभियन्ता महोदय से चर्चा के क्रम में शासन को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है।

अतः उपरोक्त आगणन धनांक रू० 11089.20 लाख की स्वीकृति के साथ–साथ शासन द्वारा समग्र विकास योजना के अन्तर्गत डी०पी०आर० शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय से प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

416/EE/AL/9
26-9-19

2338
05.10.19

26/9/2019

26/9/19

28/9/19

S.E.
CE / FC / VC

28-9-20.19

4271/EE/5.6/19
31-9-19

3579/FC/19
1-10-19

कार्यालय सचिव 3777
पत्रावली सं० 13 03/10/19
04/10/19

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या : 114 /आठ–1–20

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ/अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2020

विषय: अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान संख्या–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के अनुसार परियोजना स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– संलग्न सूची की परियोजनाओं के सम्मुख अंकित पत्र द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से कराकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु अभी तक वांछित सूचना प्रतीक्षित है। आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तथा उक्त मद के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र निर्गत किया जाना है।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न सूची में अपने से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति बोर्ड से कराकर तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं शासन को दिनांक 20 जनवरी, 2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को आहूत मासिक समीक्षा बैठक में उक्त सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करें। प्रकरण में समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

D:/YadavJI/Final/Awneesh Sir /GO 2019

Scanned with CamScanner

अवस्थापना सुविधा के विकास मद में अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों का विवरण :-

क0 सं0	मद का नाम	अद्यतन स्थिति
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड याजना के मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क संदृढ़ीकरण निर्माण कार्य।	शासन के पत्र संख्या-2203/आठ-1-19-138बजट/2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
2	जनपद लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रों स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या-2034/आठ-1-19-आई0जी0आर0एस057/19, दि0 06.11.19 एवं अनुस्मरण पत्र संख्या-2260/आठ-1-20-आई0जी0आर 0एस057/2019, दिनांक 03.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर डी0पी0आर0 पर संबंधित अभियंताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
3	जनपद-अयोध्या में सौर ऊर्जा के स्थापना सम्बंधी कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या-2204/आठ-1-19-137बजट/2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर सुविचारित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
4	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के संबंध में	शासन के पत्र संख्या-2504/आठ-1-19-157बजट/2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019

Scanned with CamScanner

प्रेषक, संख्या- 834/आठ-1-1[illegible]/2018

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला[illegible]
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास [illegible],
उ0प्र0।

5. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

6. नगर आयुक्त
समस्त नगर [illegible]
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 06 [illegible]

विषयः- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं [illegible] मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये [illegible] महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-150/आठ-1-19-58 [illegible] दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित [illegible] सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 [illegible] उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैः-

(1) यातायात सुधार सम्बंधी कार्य।
(2) मिसिंग लिंक रोड सम्बंधी कार्य।
(3) पार्किंग निर्माण सम्बंधी कार्य।
(4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बंधी कार्य।
(5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बंधी कार्य।
(6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बंधी कार्य।
(7) जलाशयों (वाटरबाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बंधी कार्य।

A.P.O.O-19

Scanned with CamScanner

(8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य।

(9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बंधी कार्य।

(10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बंधी कार्य।

(11) पार्कों की स्थापना सम्बंधी कार्य।

(12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बंधी कार्य।

3- सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-333/आठ-1-19-50 [illegible]/2018 दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त नयी नाली का [illegible] एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बंधी कार्य भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा [illegible] के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त विद्युतीकरण, सीवर लाइन, एस0टी0पी0, जलापूर्ति एवं जल संरक्षण सम्बंधी कार्य भी समाहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त [illegible] कार्यों से ही सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6- शासनादेश दिनांक 18.02.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(नितिन [illegible])
प्रमुख [illegible]

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, [illegible]
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुणेश [illegible] द्विवेदी)
[illegible]

Scanned with CamScanner

Email के माध्यम से दि० 30/08/19 को प्राप्त।

413/ग/CE
30-08-2019 संख्या-1414/आठ-1-19-IGRS 57/2019

प्रेषक,

पवन कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

75/प्रा०
30/8/19

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2019

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में पार्किंग के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-आईजीआरएस 57/आठ-1-19-आईजीआरएस 57/19 दिनांक 23.04.2019 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-आईजीआरएस 57(1)/आठ-1-19-आईजीआरएस-57/2019 दिनांक 08.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख अभी तक अप्राप्त है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वांछित सूचना/अभिलेख शासन को दिनांक 02.09.2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि उक्त दिनांक तक सूचना शासन/अभिलेख को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सूचना के साथ सुभिज्ञ अधिकारी को आगामी कार्यदिवस में शासन में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेशों से आच्छादित है, अतएव प्राथमिकता/शीघ्रता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

AE R L Saini
वार्ता
31/08/19

SE (सिविल)
EE-2

अपर अभियन्ता
आ० 02

30/8/19

AJGRS.CD

30/08/19
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
30/8

सुरेश कुमार
अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
ल०वि०प्रा०

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

104046
25/4/2019.

संख्या–IGAH-57 आ0–1–19–IGRS 57 / 2019

प्रेषक, 35/ज/CE
26-04-2019

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

151/EGH/19
27.4.19

सेवा मे,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2019

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में पार्किंग के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री कौशल किशोर, मा0 संसद सदस्य (लोक सभा) मोहनलालगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 23.07.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरण का परीक्षण कराकर औचित्य सहित सुविचारित आगणन प्रस्ताव / डी0पी0आर0 शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण आई0जी0आर0एस0 संदर्भ से आच्छादित है। अतः समयबद्धता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
23.4.2019
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

CE

SE (सि0)
अ0अ0सि0-2

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

AJGRS CO AE(J)

26.4.2019

27.4.19

सहायक अभियन्ता
ल0वि0प्रा0

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

43

संख्या–2260 /आठ–1–20–IGRS 57/2019

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक ... जनवरी, 2020

विषयः– ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग ... हेतु फुट एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग ... ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2034 ...आठ–1–19–IGRS 57/2019 दिनांक 06.11.2019 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गाईडलाइन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित ...ों के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर, परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर, डी0पी0आर0 पर सम्बंधित अभियन्ताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की है।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र पर आप द्वारा परियोजना को प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराये जाने की शर्त को पुनः विचार किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में सम्यक्‌विचारोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ... विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास ... नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास' मद के अन्तर्गत प्रस्तावित ... कार्यों के डी0पी0आर0 प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराये जाने ... शासनादेश दिनांक 01.09.2019 (प्रति संलग्न) की शर्त से विचलन का औचित्य नहीं ... गया।

3– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है ... कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.11.2019 में की गयी अपेक्षानुसार ... कराते हुए संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट ...

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
...
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

APGDIS

Scanned with CamScanner

संख्या–2034 /आठ–1–19–IGRS 57/2019

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2019

विषयः– ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रों स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–735/सचिव/ईई–2/2019 दिनांक 10.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ विषयगत प्रकरण में डी0पी0आर0/आगणन उपलब्ध कराया गया है। उक्त डी0पी0आर0 पर सम्बंधित अभियन्ताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है तथा परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नहीं है साथ ही साथ कार्यदायी संस्था का नाम भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या .../आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से ... गाईडलाइन निर्धारित की गयी है।

3– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त गाईडलाइन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित ... के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर, परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर, डी0पी0आर0 पर सम्बंधित अभियन्ताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित ... शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

A.P.G.O-19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

45

IGRS-57/आ-6-1-2019

1915718016174 A-7

कौशल किशोर
संसद सदस्य (लोक सभा)
मोहनलाल गंज, लखनऊ (उ.प्र.)
प्रदेश अध्यक्ष: अनुसूचित जाति मोर्चा, उत्तर प्रदेश
सदस्य:
• गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति
• श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति

बी-201, एम.एस. फ्लैट्स
बाबा खड़क सिंह मार्ग
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 011-23312123
मोबाइल: 9013869437

सत्यमेव जयते

संख्या: ....

दिनांक: 23-7-2018

CMA01108486

प्रमुख सचिव, आवास

कृपया प्रकरण का परीक्षण कर 15 दिन में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।
23.07.2018
(अमित सिंह)
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
उ० प्र० शासन

सेवा में,

मा० मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके सराहनीय प्रयास से लखनऊ मेट्रो के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर से चारबाग की ओर मेट्रो ट्रेन संचालित है। सरकार द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर के निकट ची चौधरी सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई के विस्तारीकरण हेतु उ०प्र० शासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमर शहीद पथ तथा ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन की परस्पर निकटता के कारण वर्तमान में इस क्षेत्र में व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत वाहनों का अत्यधिक दबाव है जिसके कारण अधिकतर ट्राफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ट्राफिक जाम होने की परिस्थिति में कई प्रकरणों में फ्लाइट छूट जाने की जनसामान्य से शिकायते भी प्राप्त होती रहती है। भविष्य में इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या काफी विकट रूप लेने की सम्भावना है।

मेरे संज्ञान में आया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में पार्किंग हेतु 18.00 मीटर मार्ग पर लगभग 155 हेक्टेयर क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध है। इस भूखण्ड में पानी की पुरानी टंकी विद्यमान है। प्राधिकरण द्वारा पुरानी पानी की टंकी का ध्वस्तीकरण करते हुए उक्त भूखण्ड पर मल्टीलेविल पार्किंग, फैसलिटी काम्पलेक्स व नये ओवर हैड टैंक हेतु नियोजन करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को रू० 8194.40 लाख की योजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है।

मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करे।

(हस्ताक्षर)
KAUSHAL KISHORE
MEMBER OF PARLIAMENT

आवास: ग्राम बेगरिया, पोस्ट बगबांमला, काकोरी, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश-2
दूरभाष: 0522-2050025, मोबाइल: 09415005536

श्रीमान मुख्य अभियन्ता

(हस्ताक्षर)
अधि. अभियन्ता

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
27/3/2019

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रेषक, संख्या :/1551 /आठ–1–19–118 /2018

पवन कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2019

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मद "लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मद "लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास" [illegible] 2019–2020 में रू0 100 करोड़ का प्रावधान है। इस मद के अन्तर्गत आपके प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में कराये जाने महत्वपूर्ण कार्यो की कार्ययोजना, मुख्य अभियन्ता अथवा इससे उच्च स्तर तथा प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रत्येक [illegible] 15.10.2019 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

A.P.C.O-19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

1956/EE-2/7
14-11-19

संख्या– 2034 /आठ–1–19–IGRS 57/2019

10902
5.11.2019
CE 7.11.2019

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2019

विषयः– ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–735/सचिव/ईई–2/2019 दिनांक 10.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में डी0पी0आर0/आगणन उपलब्ध कराया गया है। उक्त डी0पी0आर0 पर सम्बंधित अभियन्ताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है तथा परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नहीं है साथ ही साथ कार्यदायी संस्था का नाम भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–834/आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से दिशा–निर्देश/गाईडलाइन निर्धारित की गयी है।

3– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त गाईडलाइन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर, परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर, डी0पी0आर0 पर सम्बंधित अभियन्ताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
5.11.19
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

14/11/19

18/11/2019

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

LOCATION IN TRANSPORT NAGAR LAYOUT PLAN

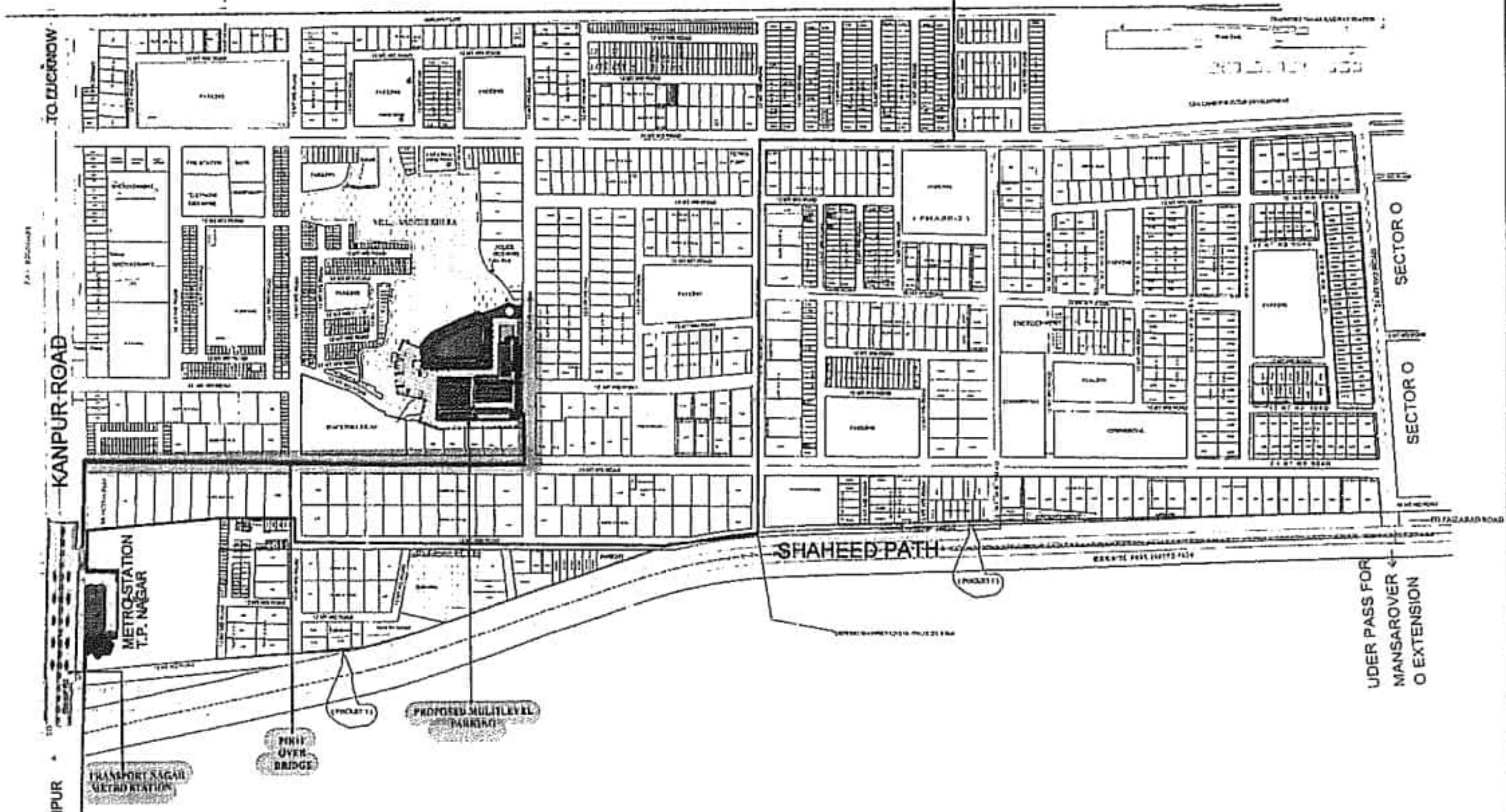

REVISED LAYOUT PLAN OF TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.
(AS PER SITE)

NOTES -
1. LAYOUT PLAN IS FINALISED AS PER THE VARIFICATION OF E.E.-13,DATED 18-09-06
2. LAYOUT OF POCKET-1 IS PROPOSED BY E.E.-13. LAND OWNERSHIP IS VARIFIED BY HIM.
3. LAYOUT OF POCKET-2 IS PROPOSED BY E.E.-13. LAND OWNERSHIP IS VARIFIED BY HIM
4. POCKET-3 IS EARMARKED FOR CINAMA IN LAYOUT PLAN NO. 2 KR-TN/OR DATED 20-03-81. THUS IT IS KEPT AS CINAMA ONLY

DATE	PARTICULARS	SIGN

REVISION

DRG. NO. REV.AS PER SITE/06-07

SHEET NO 1
DATE - 03-10-06
DEALT BY -
CHECKED BY

SCALE 1:1000

VIPUL PRAKASH

C.P.SHARMA

B.B.SINGH

For
ARCHITECTS & INT. DESIGNERS

48

विषयः यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में।

विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के माध्यम से अवस्थापना सुविधा से विकास मद में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों को बोर्ड बैठक से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य का आगणन तैयार करते हुए उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त पत्र संख्या 389/सचिव/ई.ई.–2/19 दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 03 प्रतियों में संलग्न करते हुए धनांक रू0 20,58,18,224.00 (रू0–बीस करोड़, अट्ठावन लाख, अट्ठारह हजार, दो सौ चौबीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी, शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य की स्वीकृति बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 के क्रम में तथा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 114/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के आलोक में प्रश्नगत कार्य को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा संचालित समग्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण उपरान्त कार्य की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी से परीक्षण कराते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(संजय भाटी)
अवर अभियन्ता

(नवनीत कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

Scanned with CamScanner

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषकः—	सेवा में:—
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, एनेक्सी भवन, लखनऊ।
संख्याः— 389/AA-5/सचिव/2019	दिनांकः— 17/12/2019

:विषयः

यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य।

महोदय,

कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार को सम्बोधित मा0 सदस्य विधान सभा, डा0 नीरज बोरा के पत्र संख्या क–6, नम्बर 265726 दिनांक 16.07.2019 के क्रम में सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र संख्या 154608/2019–1 दिनांक 22.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 के आलोक में उपरोक्त विषयक कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

क्रमसं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि
1.	यातायात सुधार हेतु जानकीपुरम् योजना में लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैम्पस रोड से जानकीपुरम् थाना होते हुए कुर्सी रोड एवं रिंग रोड (उत्सव गेस्ट हाउस) से अलीशा नगर को जाने वाले मुख्य मार्गो पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर मरम्मत, फुटपाथ तथा सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	रु0–5,28,55,572.00
2.	यातायात सुधार हेतु जानकीपुरम् योजना में रिंग रोड से शिव मन्दिर होते हुए कुर्सी रोड, सहारा स्टेट, अरिहन्त हास्पिटल तथा रिंग रोड से बाल्दा रोड को जाने वाले मुख्य मार्गो पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर मरम्मत, फुटपाथ तथा सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	रु0–5,10,36,503.00
3.	यातायात सुधार हेतु जानकीपुरम् योजना में आई0ई0टी0 की पृष्ठ बाउन्ड्रीवाल के कोने से नऊवा खेरा गॉव तथा ग्राम : मड़ियांव की 60 फिटा रोड को जाने वाले मुख्य मार्गो पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर मरम्मत, फुटपाथ तथा सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	रु0–5,11,63,806.00
4.	यातायात सुधार हेतु जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे की 24.00 मीटर व 18.00 मीटर मुख्य सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर मरम्मत, फुटपाथ तथा सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	रु0–5,07,62,343.00
कुल परियोजना लागत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस सहित		रु0–20,58,18,224.00

Scanned with CamScanner

तद्विषयक कार्य में IRC, SP 98-2013 के अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है एवं उक्त के आधार पर ही विस्तृत परियोजना/आगणन तैयार किया गया है, जिसके अनुसार कुल परियोजना लागत धनांक रु0–20,58,18,224.00 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत लेबर सेस सहित) का व्यय होना सम्भावित है, जिसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 21.11.2019 को प्रदान की गयी है (छायाप्रतियां परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न) तथा प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु शासन से वित्त पोषण की आवश्यकता है

अतः अनुरोध है कि कृपया जनहित में उक्त कार्य कराये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन की समग्र विकास निधि बजट के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (03 प्रतियों में)।

भवदीय,

(एम0पी0 सिंह)

सचिव

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

सचिव

Scanned with CamScanner

निर्माण/विकास कार्यो के आगणन की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु

क्र.स.	अपेक्षित विवरण	स्थिति
1.	योजना का नाम	जानकीपुरम् योजना।
2.	कार्य का नाम	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा एवं डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण का कार्य।
3.	आगणन की धनराशि	रु0–20,58,18,224.00
4.	प्रस्तावित मुख्य विशिष्टियाँ	IRC SP 98-2013 के अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
5.	आगणन की दरो का आधार	
	1. लोक निर्माण	पी0डब्लू0डी0 नवीनतम एस0ओ0आर0 2019–20 एवं विश्लेषित दरो पर आधारित।
	2. डी0एस0आर0	–
	3. नान शिड्यूल दर (यदि कोई हो)	–
6.	नॉन शिड्यूल आइटम के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता का इस आशय का प्रमाण पत्र कि परियोजना के कन्सलटेन्ट के सुझाव अथवा मुख्य अभियन्ता के मत से स्थल की आवश्यकतानुसार मद की अपहिर्यता है तथा निर्धारित की गयी दरे तकनीकी/वित्तीय नियमो के अनुरुप एवं औचित्यापूर्ण है।	लागू नही।
7.	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा एवं डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण का कार्य।
8.	वित्तीय स्रोत (प्राधिकरण, अवस्थापना, शासकीय निधि, समग्र विकास निधि व अन्य)	समग्र विकास निधि।
9.	बजट मद एवं प्राविधान	
10.	बजट/उक्त मदो में अवशेष धनराशि	
11.	प्रस्तावित कार्य स्थल के सत्यापित फोटोग्राफ	संलग्न है।
12.	कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि एवं बार चार्ट	निविदा/अनुबन्ध के उपरान्त नियमानुसार।
13.	तलपट मानचित्र पर कार्य स्थल की स्थिति	संलग्न है।
14.	प्रस्तावित कार्य की विस्तृत डिजाइन ड्राइंग संलग्न है अथवा नही ?	आवश्यक नही है।
15.	विकास कार्य/भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य विशिष्ट कार्यो हेतु मानचित्र के स्वीकृति की स्थिति	आवश्यक नही है।
16.	कार्य स्थल की भूमि अर्जित, भौतिक कब्जा प्राप्त एवं अविवादित होने का प्रमाण पत्र	भूमि अर्जित है।
17.	कार्य का औचित्य एवं आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी	पूर्व पृष्ठ संख्या 1 के बिन्दु संख्या 16 अनुसार।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

विवेचन आदेश

पृष्ठ सं

18.	स्थल पर कार्य प्रथम बार प्रस्तावित किये जाने का प्रमाण पत्र।	पूर्व पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 17 अनुसार।
19.	सुदृढीकरण व मरम्मत कार्य इससे पूर्व कब कराया गया, साक्ष्य सहित	पूर्व पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 18 अनुसार।
20	पूर्व में स्वीकृत व निर्मित किसी अन्य कार्य को समय से पहले प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निमाण के आगणन में सम्मिलित तो नही किया गया है ? यदि सम्मिलित है तो औचित्य ?	पूर्व पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 19 अनुसार।
21.	अधीक्षण अभियन्ता की कार्य के औचित्य व उपयोगिता के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति है?	–
22.	प्रस्तुत आगणन स्वीकृत योग्य है अथवा नही, स्पष्ट संस्तुति।	यातायात सुधार सम्बन्धित जानकीपुरम् योजना के जोनल एवं मुख्य सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण के कार्य जनहित में कराये जाने आवश्यक है।

संस्तुतिः–

मा0 विधायक, डा0 नीरज बोरा, लखनऊ–उत्तरी विधान सभा के पत्र क्रमांक 6 नम्बर : 265726 दिनांक 16.07.2019 जो कि मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, के क्रम में सचिव, मा0 मुख्यमंत्री के पत्रांक 154608/2019 दिनांक 22.07.2019 के अनुपालन में अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के फाइल नं0 8–1002(099)/19/2019 दिनांक 08.08.2019 का के क्रम शासनादेश संख्या 834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 के आलोक में आगणन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। तद्क्रम में स्थल की आवश्यकतानुसार पृष्ठ संख्या 1 पर प्रेषित आख्या के क्रम में आगणन तैयार किया गया है। आगणन की तकनीकी जॉच पी0ए0टी0 द्वारा गत पृष्ठ–5 पर की गई है। तदनुसार प्रस्तावित कार्य के आगणन धनांक रु0–20,58,18,224.00 (रु0–बीस करोड, अट्ठावन लाख, अट्ठारह हजार, दो सौ चौबीस मात्र) की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ–साथ कार्य को समग्र विकास निधि से कराये जाने हेतु शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने एवं शासन से वित्तीय स्वीकृति उपरान्त पृथक–पृथक ई–निविदा आमंत्रित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

प्रस्तुतकर्ता
16/11/19
(नवनीत कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता जोन–5

अधिशासी अभियन्ता जोन–5 की विस्तृत आख्या एवं संस्तुति के क्रम में पत्रावली समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है। 20.58 करोड़ के संयुक्त प्रस्ताव हेतु संस्तुति/ N

फाइल संख्या

(चक्रेश जैन)
अधीक्षण अभियन्ता

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(8)

अधिशासी अभियन्ता जोन–5 की उक्त संस्तुति के क्रम में विचारोपरान्त आगणन धनांक रु0–20,58,18,224.00 (रु0–बीस करोड, अट्ठावन लाख, अट्ठारह हजार, दो सौ चौबीस मात्र) की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ–साथ कार्य को समग्र विकास निधि से कराये जाने हेतु शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने एवं शासन से वित्तीय स्वीकृति उपरान्त पृथक–पृथक ई–निविदा आमंत्रित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

(इन्दु शेखर सिंह)	(राजीव कुमार सिंह)	(एम0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता	वित्त नियंत्रक	सचिव

उपाध्यक्ष

प्रस्ताव प्रेषित करें। अनुमोदन पश्चात पुनः पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

(प्रभु एन. सिंह)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

कार्यालय सचिव कम्प
B. 4703
20/11/19

उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा०
कार्यालय फाइल नं. 2957
दिनांक 21-11-2019
संलग्न
प्राधिकरण भवन गोमती नगर

AE / J.E. (S.B)

22/11/19

24/11/19

फाइल संख्या

55

संख्या–2564 /आठ–1–19–157 बजट/2019

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

190571
3.1.20
06.01.2020

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 01 जनवरी 2020 दिसम्बर, 2019

विषयः– यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सडकों पर सडक सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बंधित कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–389/एए–5/सचिव/2019 दिनांक 17.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में डी0पी0आर0/आगणन उपलब्ध कराया गया है। उक्त परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नहीं है एवं कार्यदायी संस्था का नाम भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही साथ उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में डिवाइडर की मरम्मत सम्बंधी कार्य का उल्लेख किया गया है, जो कि गाइडलाईन सम्बंधी शासनादेश में उल्लिखित कार्यो से आच्छादित प्रतीत नहीं होता है।

2– उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–834/आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से दिशा–निर्देश/गाईडलाइन निर्धारित की गयी है।

3– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त गाईडलाइन सम्बंधी शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित कार्यो के आलोक में परियोजना का परीक्षण करते हुए शासनादेश दिनांक 01.09.2019 (प्रति संलग्न) के कम में परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर, प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

A.E.
8/1/20
CA.A.-5

J.E.(S.B.)
9/1/2020.

भवदीय
1.1.2020
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

A.P.G.O-19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या : 114 /आठ–1–20

प्रेषक,

माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ/अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2020

विषयः अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुदान संख्या–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची के अनुसार परियोजना स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– संलग्न सूची की परियोजनाओं के सम्मुख अंकित पत्र द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड से कराकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु अभी तक वांछित सूचना प्रतीक्षित है। आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तथा उक्त मद के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र निर्गत किया जाना है।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न सूची में अपने से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति बोर्ड से कराकर तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं शासन को दिनांक 20 जनवरी, 2020 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को आहूत मासिक समीक्षा बैठक में उक्त सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करें। प्रकरण में समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

D:/YadavJi/Final/Awneesh Sir /GO 2019

Scanned with CamScanner

अवस्थापना सुविधा के विकास मद में अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाओं पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु संदर्भित प्रकरणों का विवरण :–

क्र0 सं0	मद का नाम	अद्यतन स्थिति
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड याजना के मुख्य सड़कों एवं जोनल सड़क सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क संदृढ़ीकरण निर्माण कार्य।	शासन के पत्र संख्या–2203 / आठ–1–19–138बजट / 2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
2	जनपद लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रों स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या–2034 / आठ–1–19–आई0जी0आर0एस057 / 19, दि0 06.11.19 एवं अनुस्मरण पत्र संख्या–2260 / आठ–1–20–आई0जी0आर 0एस057 / 2019, दिनांक 03.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण कर परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर डी0पी0आर0 पर संबंधित अभियंताओं का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित कराते हुए प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के नाम के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
3	जनपद–अयोध्या में सौर ऊर्जा के स्थापना सम्बंधी कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।	शासन के पत्र संख्या–2204 / आठ–1–19–137बजट / 2019, दिनांक 02.12.2019 द्वारा परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर सुविचारित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
4	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के मुख्य एवं जोनल सड़कों पर सड़क सुरक्षा, डिवाडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के संबंध में	शासन के पत्र संख्या–2504 / आठ–1–19–157बजट / 2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 06.06.2019 के आलोक में उल्लिखित कार्यों के आलोक में परियोजना का परीक्षण करते हुए परियोजना प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराकर प्रस्तावना एवं कार्यदायी संस्था के साथ संशोधित परियोजना प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।

Scanned with CamScanner

प्रेषक, संख्या- 834/आठ-1-19-[illegible]/2019

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला[illegible]
   उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त,
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास [illegible],
   उ0प्र0।
5. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
6. नगर आयुक्त
   समस्त नगर [illegible],
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 [illegible] 2019

विषयः- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवस्थापना सुविधाओं [illegible] मद के अन्तर्गत शहर के विकास के दृष्टिकोण से कराये [illegible] महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने सम्बंधी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-150/आठ-1-19-58 [illegible] दिनांक 23.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित [illegible] सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 [illegible] उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैः-

(1) यातायात सुधार सम्बंधी कार्य।
(2) मिसिंग लिंक रोड सम्बंधी कार्य।
(3) पार्किंग निर्माण सम्बंधी कार्य।
(4) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सम्बंधी कार्य।
(5) सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बंधी कार्य।
(6) सौर ऊर्जा स्थापना सम्बंधी कार्य।
(7) जलाशयों (वाटरबाडिज) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बंधी कार्य।

A.P.O.O.19

Scanned with CamScanner

(8) मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बंधी कार्य।

(9) चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बंधी कार्य।

(10) सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बंधी कार्य।

(11) पार्को की स्थापना सम्बंधी कार्य।

(12) फुटओवरब्रिज निर्माण सम्बंधी कार्य।

3– सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–333/आठ–1–19–59 [illegible]/2018 दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त नयी नाली [illegible] एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बंधी कार्य भी सम्मिलित किये [illegible] निर्णय लिया गया।

4– प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से कराये जाने वाले चिन्हित उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त विद्युतीकरण, [illegible] लाइन, एस0टी0पी0, जलापूर्ति एवं जल संरक्षण सम्बंधी कार्य भी समाहित किये जाने [illegible] लिया गया है।

5– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त [illegible] कार्यो से ही सम्बंधित आगणन/डी0पी0आर0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को विचारार्थ उपलब्ध कराया जाए। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6– शासनादेश दिनांक 18.02.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(नितिन [illegible])

प्रमुख [illegible]

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible]

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, [illegible]
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
6. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश [illegible] द्विवेदी)

अ[illegible]

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Road Strengthening of from Ring Road to Kursi Road Via Shiv Temple, Sahara Estate, Arihant Hospital And; From Ring Road to Balda Road in Jankipuram, Lucknow.

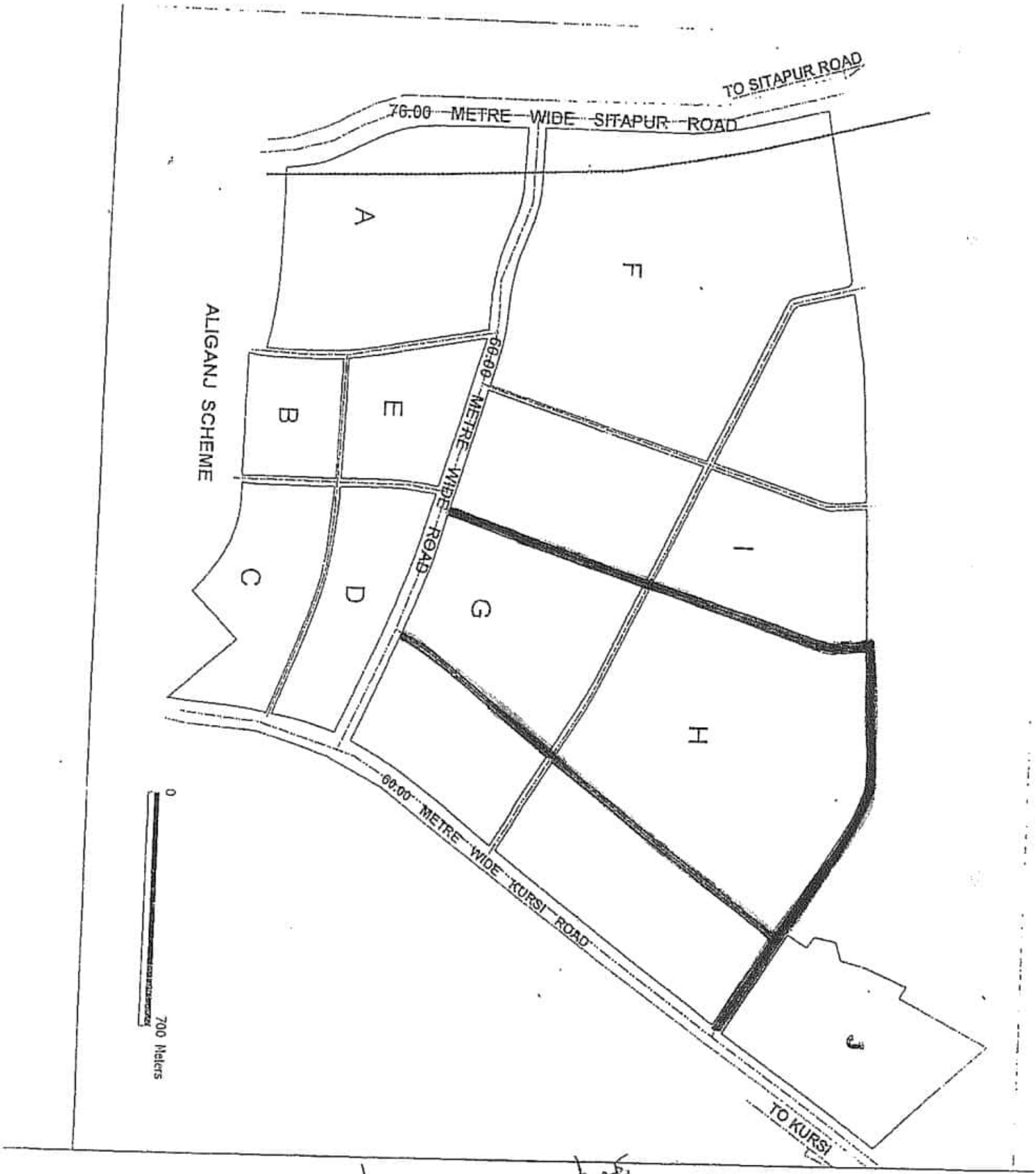

(संजय भारती)
[illegible]

अजय गोयल
सहायक [illegible]

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Road Strengthening of from IET Back Boundary Wall Corner to Nauywa Khera Village And; Madiyoan Goan Road from 60 ft. Road, Lucknow

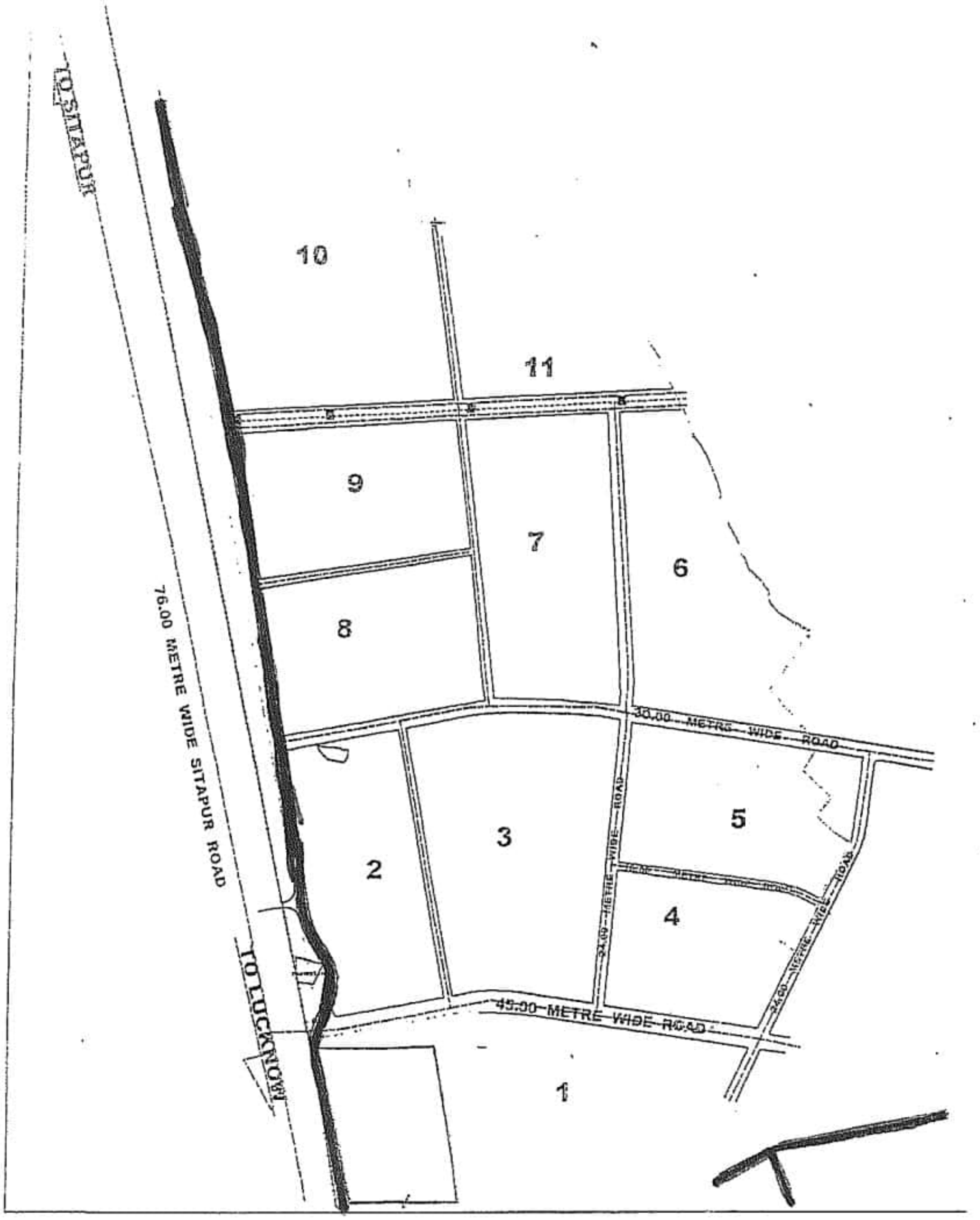

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, Foothpath and Road Strengthening of 24 Meter & 18 Meter Roads of Jankipuram Vistar Sector J, Lucknow.

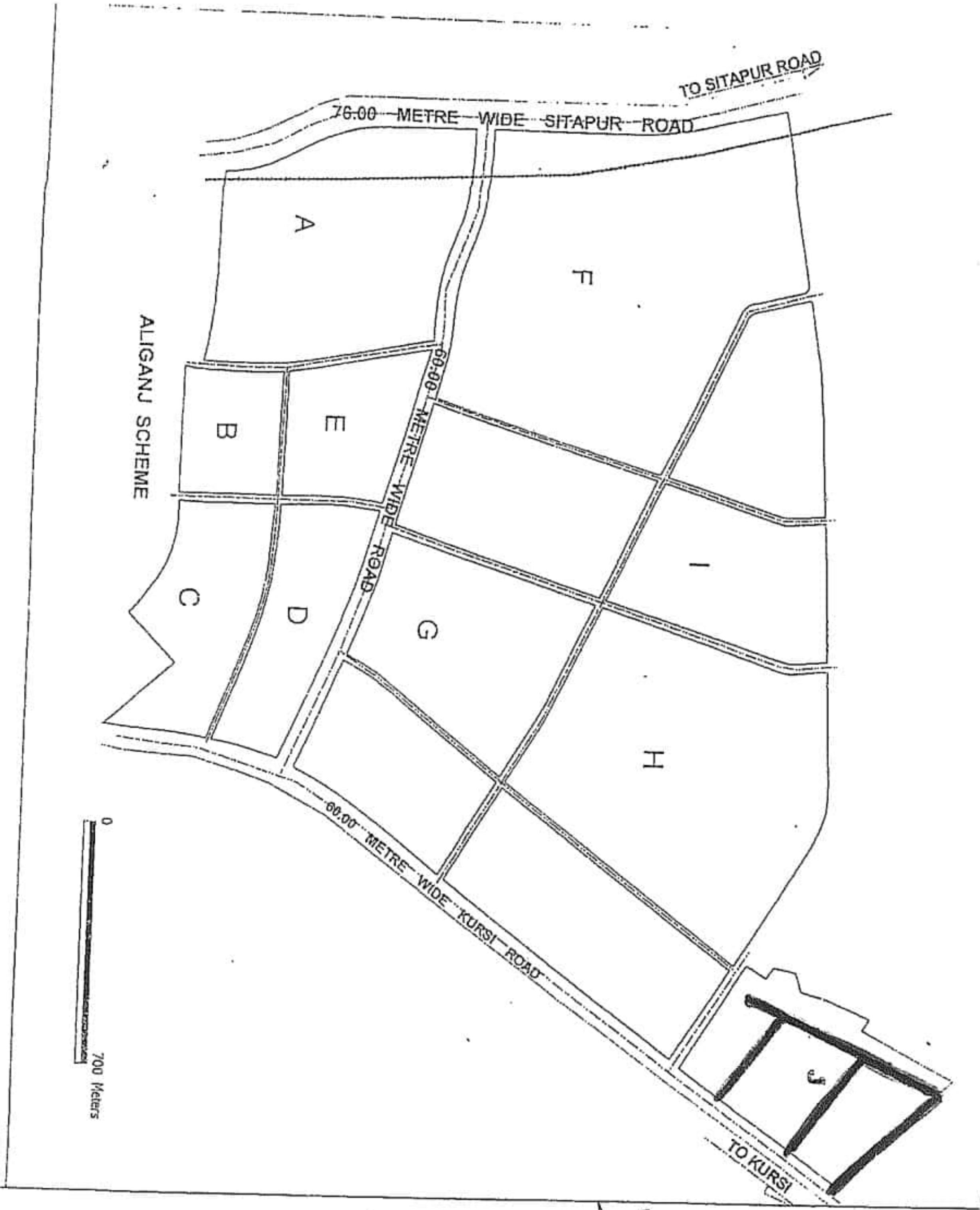

(संजय भारती)
[illegible]

अजय मोहन
[illegible]

Scanned with CamScanner

For Better Traffic Management Road Safety, Divider Related, **Foothpath and Road Strengthening of from LU New Campus Road to Kursi Road Via Jankipuram Police Station And; From Ring Road (Utsav Guest House) to Alisha Nagar in Jankipuram,** Lucknow.

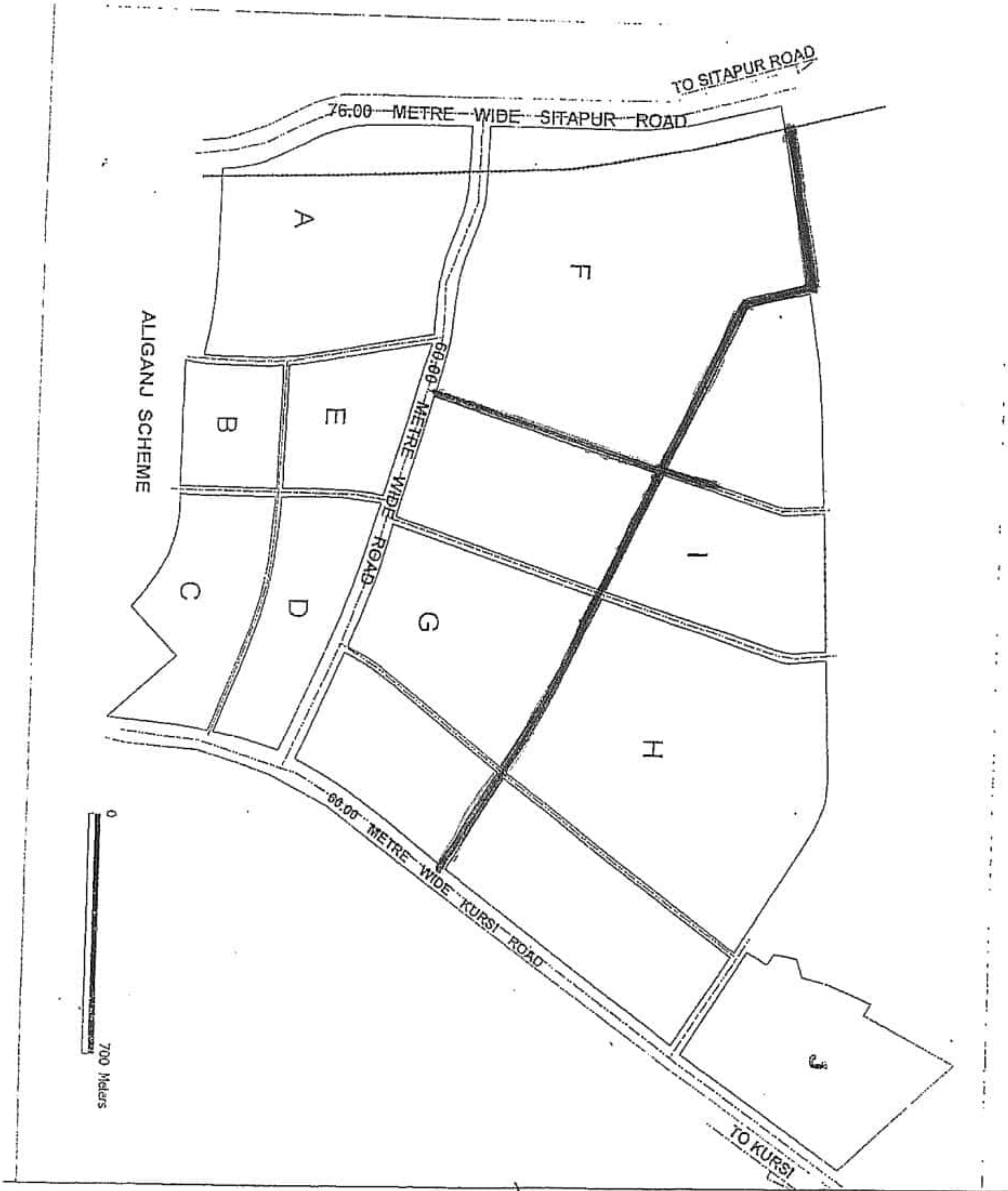

AE

(संजय यादव)
अवर अभियन्ता

अजय गोयल
सहायक अभियन्ता

Scanned with CamScanner

विषय संख्या-06 **बोर्ड प्रस्ताव** पृ०सं०-64

मद संख्या

गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पॉच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

कृपया अधिशासी अभियन्ता जोन–1 के पत्रांक दिनांक 03.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमती नगर क्षेत्रान्र्तत विभूति खण्ड के पॉच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित सडकों का विवरण निम्नवत है:–

1. मंत्री आवास के सामने क्षतिग्रस्त सडक (हैनीमैन उपरिगामी रेलवे सेतु से लोहिया पथ तक)।
2. अयोध्या रोड से डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल चौराहा होने हेतु यू0पी0एस0आर0टी0सी0 कार्यशाला तिराहा तक।
3. अयोध्या रोड से इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान होते हुए मंत्री आवास रोड तक (भवन संख्या टी0सी0–12 विभूति खण्ड)।
4. अयोध्या मार्ग के समानांतर कमता तिराहे से पालीटेक्निक चौराहे तक सर्विस रोड।
5. लोहिया पथ से डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल चौराहा एवं इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा होते हुए शहीद पथ तक।

उपरोक्त सडकों तथा जन सुविधाएं यथा–सीवर, ड्रेनेज का वर्तमान में अनुरक्षण तथा रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है तथा जल सुविधाओं का अनुरक्षण जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। कालान्तर में जन सुविधाएं यथा–सीवर, ड्रेनेज आदि नगर निगम/ जल संस्थान को हस्तांतरित किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र में पॉचों सडकों को हस्तांतरित करने हेतु सहमति की अपेक्षा इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि भविष्य में जन सुविधाओं यथा–सीवर, ड्रेनेज का रख–रखाव प्राधिकरण/नगर निगम/जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है। तदनुसार **गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पॉच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण** की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

05/02/2020
संजय निगम
सहायक अभियन्ता

5/2/20
मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक :574 / R-4 /2020 दिनांक :04.02.2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता जोन–1,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय : गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :आपका पत्रांक 1184/ईई–1/2020 दिनांक 03.02.2020

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1184/ईई–1/2020 दिनांक 03.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमती नगर, क्षेत्रान्तर्गत मंत्री आवास के सामने क्षतिग्रस्त निम्नलिखित मार्गों को लोक निर्माण विभाग को स्वामित्व सहित हस्तान्तरण करने से पूर्व इस आशय की सहमति चाही गयी है कि भविष्य में जन सुविधाओं यथा सीवर, ड्रेनेज का रख–रखाव प्राधिकरण/नगर निगम/जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

1– मंत्री आवास के सामने क्षतिग्रस्त सड़क (हैनीमैन) उपरिगामी रेलवे सेतु से लोहिया पथ तक)

2– आयोध्या रोड से डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चौराहा होते हुए यू0पी0एस0आर0टी0सी0 कार्यशाला तिराहा तक।

3– अयोध्या रोड से इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान होते हुए मंत्री आवास रोड तक (भवन संख्या टी0सी0–12 विभूति खण्ड)

4– अयोध्या मार्ग के समानान्तर कमता तिराहे से पॉलीटेक्निक चौराहे तक सर्विस रोड।

5– लोहिया पथ से डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चौराहा एवं इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा होते हुए शहीद पथ तक।

अवगत कराना है कि उपरोक्त मार्गों (कैरिज–वे) को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्णतः रख–रखाव/अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरण के लिये सहमति प्रदान की जाती है एवं उपरोक्त मार्गों पर जन सुविधाओं यथा सीवर, ड्रेनेज का रख–रखाव प्राधिकरण/नगर निगम/जल संस्थान द्वारा ही किया जायेगा। इसमें लोक निर्माण विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः सहमति पत्र आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सड़कों के हस्तान्तरण की कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।

04.2.2020
(अरविन्द कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

1– प्रतिलिपि प्रधान निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (पंचम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ

Scanned with CamScanner

विषय सं0: 07 पृष्ठ सं0– 66

विषयः लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के संबंध में।

आख्याः

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 के पत्र सं0–यू0ओ0 26/आठ–10–2019 दिनांक 08.11.2019 (छायाप्रति अनुलग्नक–01 पर संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र सं0–655/10लीडा/34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.08.2019 द्वारा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति दयनीय है एवं सीमित संसाधनों एवं मानव श्रम के कारण भू–अधिग्रहण एवं विकास कार्य संभव नही हो सके है। वर्तमान में लीडा में मात्र बिल्डरों के मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण के पास हमेशा मानव संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में निदेशक मंडल की 34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.08.2019 के प्रस्ताव सं0–34:02 में दिये गये निर्देशों के कम में प्राधिकरण के आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने का प्रस्ताव किया गया है (प्रस्ताव सं0–34:02 की छायाप्रति अनुलग्नक–02 पर संलग्न)।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 व उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–3 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः

लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 व उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Singh

नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

90/42/1P/19 67
16/11/2019
महत्वपूर्ण / समयबद्ध

649/CTP/28
18/11/19

संख्या–यू0ओ0 26 / आठ–10–2019

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक 08 नवम्बर, 2019

C.T.P.

विषयः–लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 व उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–655 / 10 / लीडा / 34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–08–2019 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को अवगत कराया गया है कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति दयनीय है एवं सीमित संसाधनों एवं मानव श्रम के कारण भू–अधिग्रहण एवं विकास के कार्य संभव नहीं हो सके हैं। वर्तमान में लीडा में मात्र बिल्डरों के मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण के पास [illegible] मानव संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। लीडा के अंतर्गत नोटीफाइड लखनऊ के 45 व उन्नाव के 39 गांव अर्थात कुल 84 गांवों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक मंडल की 34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–08–2019 में दिये गये निर्देशों के कम में प्राधिकरण के आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

APA / श्री सूर्यकुमार

2– औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अभिमत उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–655 / 10 / लीडा / 34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29–08–2019 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रकरण के संबंध में शासन को **अपनी सहमति / अभिमत तीन कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें**, जिससे औद्योगिक विकास विभाग को विभागीय अभिमत उपलब्ध कराया जा सके।

सलग्नक:यथोक्त। (ई-मेल द्वारा प्रेषित)

19/11/19

Singh
19.11.2019
A.P.A.

भवदीय,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
अनु सचिव।

GO 2019

Scanned with CamScanner

प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दि0 08.08.2019 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त।

प्रस्ताव सं0–34:01

विषय– निदेशक मंडल की 33वीं बैठक दि0 15.11.18 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय– कार्यवृत्त की प्रति निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रेषित की गई थी तथा कार्यवृत्त पर किसी सदस्य से आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। निदेशक मंडल द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0–34:02

विषय– निदेशक मंडल की 33वीं बैठक दि0 15.11.18 में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

निर्णय– निदेशक मंडल की 33वीं बैठक दि0 15.11.18 के प्रस्ताव सं0 33:05 में "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में गीडा, सीडा लीडा एवं यूपीसीडा में मानव शक्ति में वृद्धि, कार्यशील पूंजी की उपलब्धता आदि के दृष्टिगत गीडा, सीडा एवं लीडा की आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण यूपीसीडा में किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आलोक में यू0पी0 सीडा को पत्र प्रेषित किया गया" के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकरण के आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का भी अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अन्य बिन्दुओं पर निदेशक मंडल द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव सं0–34:03

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय/प्राप्तियॉं एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष्य बजट

निर्णय– प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तुत कार्ययोजना एवं बजट को अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव सं0–34:04

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखो की बैलेन्सशीट का अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

निर्णय– पारित किया जाता है कि प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017–18 के सम्प्रेषित लेखों (बैलेन्स शीट) को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा आगामी बैलेन्स शीट एकूवल बेस पर तैयार कराये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

एम० पी० अग्रवाल
आई.ए.एस.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner

लखनऊ महायोजना–2031

प्रस्तावित भू–उपयोग

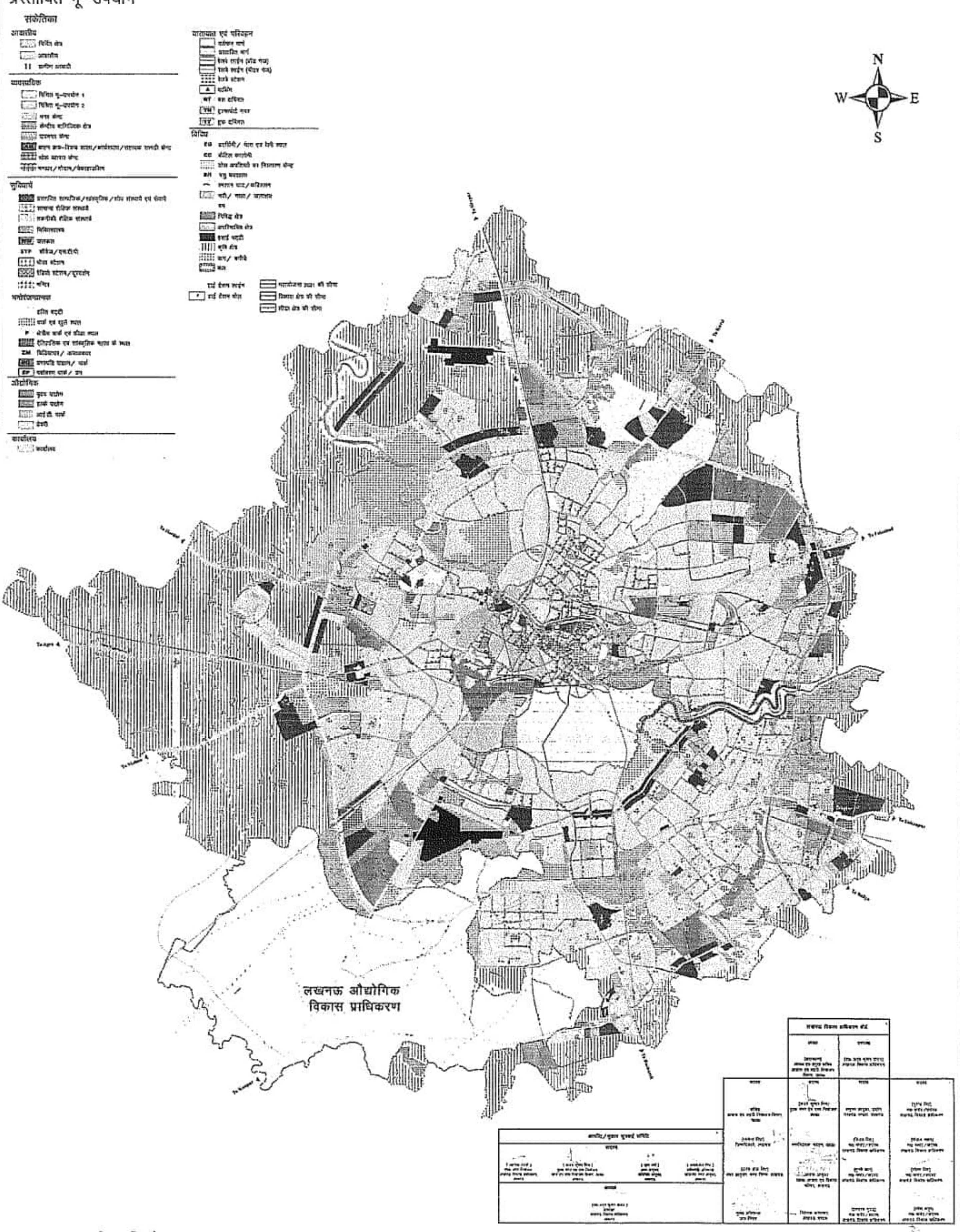

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

Scanned with CamScanner

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लीडा का वर्तमान विकास क्षेत्र

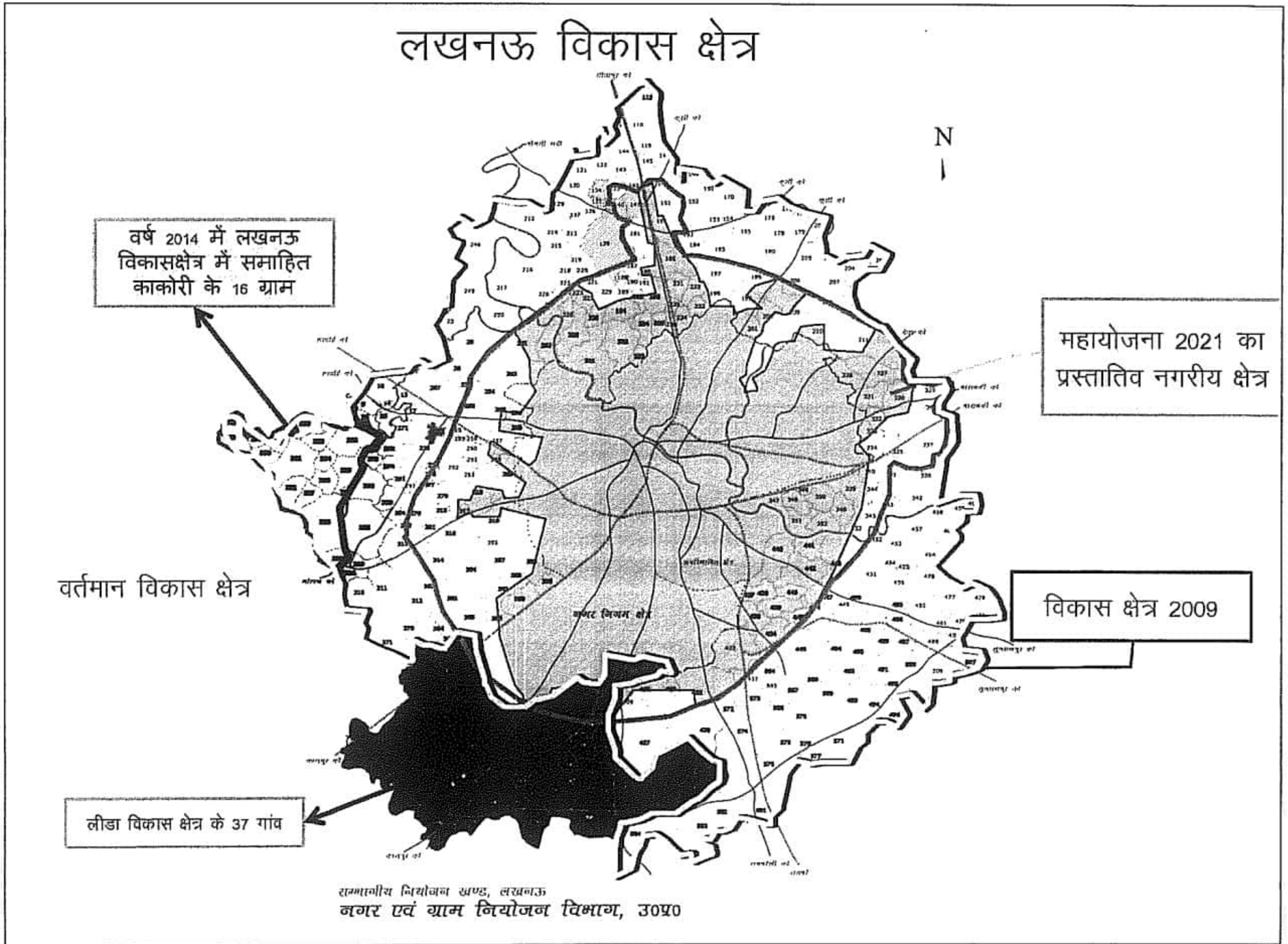

Scanned with CamScanner

विषय संख्या: 08 | पृष्ठ संख्या: 71

विषय: लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के संबंध में।

आख्या:

मा0 ब्रजेश पाठक, मा0 मंत्री विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 सरकार लखनऊ के पत्र सं0–1869/वी0आई0पी0/वि0न्या0/ग्रा0अभि0/2019 दिनांक 11.10.2019 के साथ संलग्न आवेदक श्री विनोद दुबे, निवासी–ग्राम पपनामऊ, जनपद–लखनऊ के प्रार्थना पत्र द्वारा ग्राम–पपनामऊ की भूमि पर सुनियोजित विकास किये जाने हेतु चिन्हांकन किये जाने एवं इस संबंध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा, विसवां, सीतापुर पता–29 ए ब्लाक, दारूलसभा, लखनऊ के पत्र सं0–5 नं0–624979 द्वारा उक्त ग्राम की भूमि पर भू–उपयोग चिन्हित/निश्चित करने हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के पत्र सं0–861/सी0टी0पी0/2019–20 दिनांक 27.11.2019 (छायाप्रति अनुलग्नक–01 पर संलग्न) द्वारा लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि पर भू–उपयोग अंकित कराने हेतु पत्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 को प्रेषित किया गया। तदपश्चात मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 के पत्रांक–2344/व.नि.(1)/लखनऊ महायोजना/2019–20 दिनांक 18.12.19 (छायाप्रति अनुलग्नक–02 पर संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि शासकीय अधिसूचना सं0–174/आठ–6–09–01, दिनांक 27.01.2009 के माध्यम से लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया था, परन्तु ग्राम–पपनामऊ विस्तारित क्षेत्र की सूची से छूट गया था। शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0–273/आठ–10–17–1 गठन/2004 दिनांक 21.08.2018 के क्रमांक 60 पर ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 61 नगरो में से लखनऊ नगर की भी महायोजना तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें उक्त ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ को समाहित कर लिया जायेगा। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि को लखनऊ

Singh

Scanned with CamScanner

महायोजना–2031 में समाहित करने हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर उसकी एक प्रति उनके कार्यालय में भी उपलब्ध करायी जानी है।

उक्त के दृष्टिगत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि को लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :–

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-1

73

लखनऊ [illegible]ाधिकरण, लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या–861 /सी0टी0पी0/2019–20 दिनांक–27.11.2019	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय–

लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, जिला–लखनऊ की भूमि पर लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोग का प्रस्ताव किये जाने क सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 ब्रजेश पाठक, मा0 मंत्री, विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ के पत्र सं0–1869/ वी0आई0पी0/ वि0न्या0/ ग्रा0अभि0/ 2019, दिनांक 11.10.2019 के साथ संलग्न श्री विनोद दुबे, निवासी, ग्राम–पपनामऊ, जनपद–लखनऊ प्रार्थना पत्र (समस्त प्रपत्रों की छायाप्रतियां संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से ग्राम–पपनामऊ की भूमि पर सुनियोजित विकास किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण–2031 में भू–उपयोग बदले जाने हेतु चिन्हांकन करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा, विसंवा, सीतापुर, पता–29ए ब्लाक दारूलसभा, लखनऊ के पत्र सं0–5न0 624979 (छायाप्रति संलग्न) का पत्र ग्राम–पपनामऊ, जिला–लखनऊ की भूमि पर भू–उपयोग चिन्हित/निश्चित करने हेतु वांछित कार्यवाही कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय अधिसूचना सं0–174/ आठ–6–09–01 दिनांक 27.01.2009 के माध्यम से लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया था परन्तु ग्राम–पपनामऊ विस्तारित क्षेत्र में छूट गया था। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित ग्रामों की सूची में हुयी त्रुटियों के निराकरण से सम्बन्धित संशोधन/शुद्धिकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2015 में प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम–पपनामऊ को विकास प्राधिकरण सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भी था। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कर शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–273/ आठ–10–17–1गठन/2004, दिनांक 21/08/2017 के क्रमांक 60 पर ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ अंकित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि पर भू–उपयोग अंकित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। ताकि प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

23/11/19

(नितिन मित्तल)

मुख्य नगर नियोजक।

O/C

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-2
74

2706/C.T.P/19
19-12-19

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1–ए–वी 5, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांक 2344/व.नि.(1)/लखनऊ महायोजना/2019–20 दिनांक 18/12/2019

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, जिला–लखनऊ की भूमि पर लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोग का प्रस्ताव किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–861/सी.टी.पी./2019–20 दिनांक 27.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 बृजेश पाठक, मा0 मंत्री विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ के पत्र संख्या–1869/वी.आई.पी./वि.न्या./ग्रा.अभि./2019, दिनांक 10.10.2019 के साथ संलग्न श्री विनोद दुबे, निवासी ग्राम–पपनामऊ, जिला–लखनऊ के प्रार्थनापत्र संलग्न कर ग्राम–पपनामऊ की भूमि पर सुनियोजित विकास किये जाने हेतु चिन्हांकन किये जाने एवं इसी सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा, विसवां, सीतापुर, पता–29 ए ब्लाक, दारूलसभा, लखनऊ के पत्र संख्या–5 नं0 624979 द्वारा ग्राम–पपनामऊ, जिला–लखनऊ की भूमि पर भू–उपयोग चिन्हित/निश्चित करने हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय अधिसूचना सं0–174/आठ–6–09–01, दिनांक 27.01.2009 के माध्यम से लखनऊ विकास क्षेत्र का विस्तार किया गया था, परन्तु ग्राम–पपनामऊ विस्तारित क्षेत्र की सूची से छूट गया था। शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–273/आठ–10–17–1 गठन/2004, दिनांक 21.08.2018 के कमांक–60 पर ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ को लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 61 नगरों में से लखनऊ नगर की भी महायोजना तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें उक्त ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ को समाहित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि को लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित कराने हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्रदान कराकर उसकी प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/12/19
(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

APA / श्री सूर्यकुमार
20/12/19

श्री मनोज
Singh 26.12.2019 A.P.A.

Singh 21.12.2019 A.P.A.

D:\S P (1)\LUCKNOW\Lucknow Mahayojana 2017-18 docs

Scanned with CamScanner

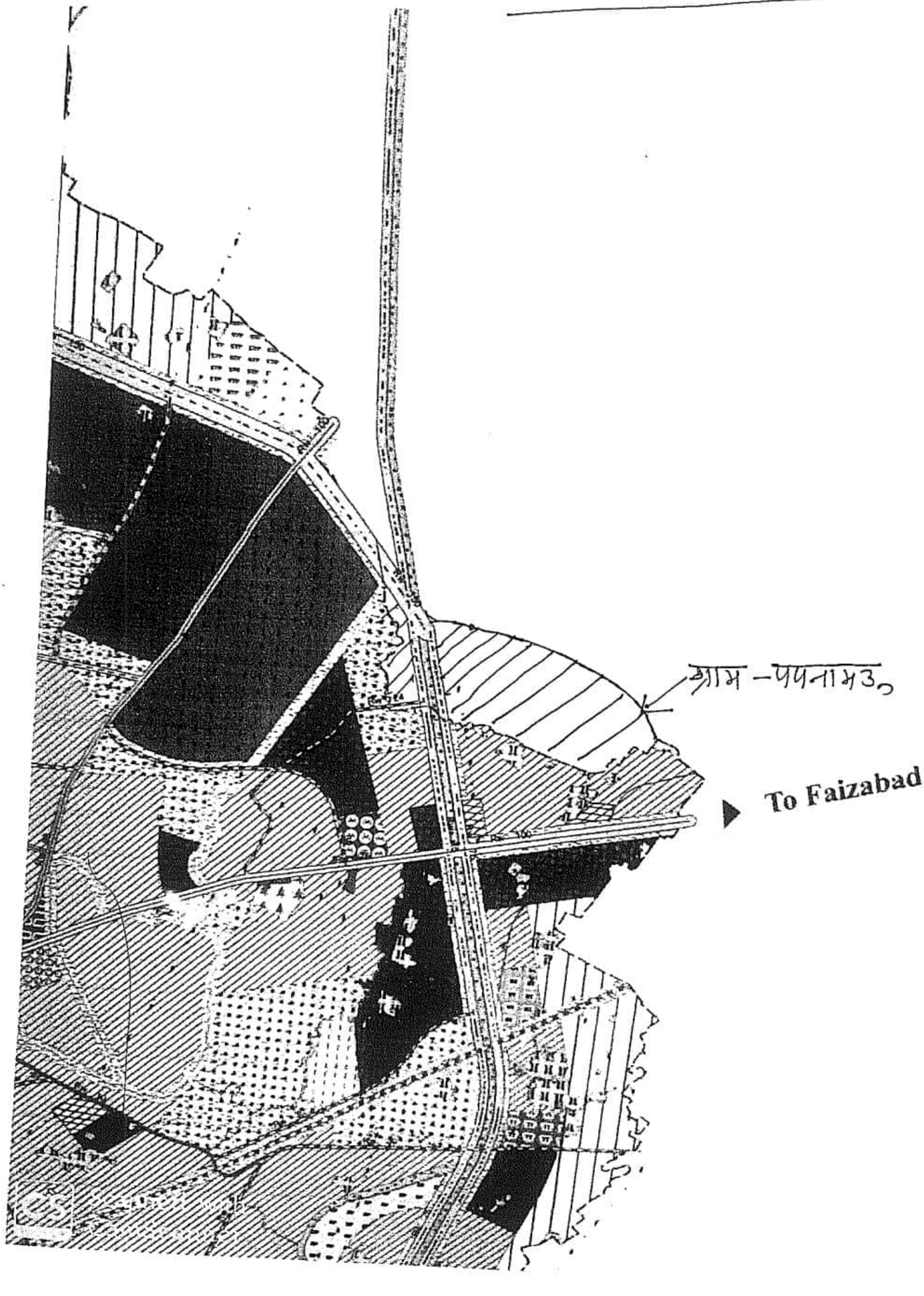

Scanned with CamScanner

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

Scanned with CamScanner

आगामी 167वीं बोर्ड बैठक हेतु विचारणीय अन्य विषय

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।	01
02.	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–35344/एम0बी0/2020 श्रीमद् दयानन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या–189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23–08–06–05 अर्थात् 6,37,473.37 वर्गफिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बाल सदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	02
03.	श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	09
04.	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	14

Scanned with CamScanner

विषय संख्या-01 पृष्ठ संख्या 01

<u>विषयः–प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय के रुप में की गयी है, जिसका मुख्य क्रिया कलाप शहर का सुनियोजित विकास करना, अवस्थापना सुविधायें अनुमन्य कराया जाना, स्ट्रीट लाइट, जलपूर्ति तथा उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग तक के जनमानस को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही साथ शासन द्वारा आवंटित धनराशि से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण/विकास कार्य किया जाना है। उक्त कार्यों को सुगमता एवं गुणवत्तापरक रुप से निष्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–21 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित आय–व्ययक जिसमें राजस्व आय रु0–295.50 करोड़ पूंजीगत आय रु0–2035.09 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व आय के अन्तर्गत मुख्य रुप से किराये से प्राप्ति, 2प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क, मानचित्रों की स्वीकृति से प्राप्ति, विभिन्न पुस्तिकाओं/टेण्डर की बिक्री से प्राप्ति आदि मद सम्मिलित है। इसी प्रकार पूंजीगत आय के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आवंटन, पंजीकरण, फ्लैटस की बिक्री, भूमि/भवन के निस्तारण, बल्कसेल, नीलामी से प्राप्ति तथा शासकीय कार्यों हेतु शासन से अनुदान की प्राप्ति सम्मिलित है। अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन/वाहन अग्रिम की वापसी से ब्याज की प्राप्ति, सेन्टेज से आदि सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय पक्ष में अनुमानित राजस्व व्यय रु0–220.83 तथा पूंजीगत व्यय में रु0–2259.67 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतन, विज्ञापन, डीजल, पेट्रोल, कार्यालय अनुरक्षण, स्टोर, सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि सम्मिलित है। पूंजीगत व्यय में भूमि अर्जन तथा शासकीय कार्यो हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले निर्माण एवं विकास व्यय सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 माह जनवरी 2020 तक वास्तविक एवं 2020–21 में अनुमानित प्राप्ति रु0–2330.59 करोड़ तथा अनुमानित व्यय रु0–2480.50 करोड़ आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

नोट - बजट पारित सत्ता से अंतर्गत है।

Scanned with CamScanner

विषयः—मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ—लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या—35344/एम0बी0/2020 श्रीमद् दयानन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या—189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23—08—06—05 अर्थात 6,37,473.37 वर्गफिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बालसदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विवरणः—

लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव संख्या—5639 दिनांक 28.01.1928 द्वारा मवैया योजना स्थित भूखण्ड संख्या—189, क्षेत्रफल बीघा—07—07—03—09 कृषि कार्य हेतु एवं भूखण्ड संख्या—189ए, क्षेत्रफल बीघा—07—01—06—05 भवन प्रयोजन हेतु तथा भूखण्ड संख्या—190 इम्प्रूवमेन्ट के प्रस्ताव संख्या—5953 दिनांक 18.07.1929 के माध्यम से श्रीमद् दयानन्द अनाथालय के पक्ष में पट्टे पर आवन्टित किये जाने का प्रस्ताव किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 01.04.1931 को लीजरेन्ट रू0 366/25 दयानन्द अनाथालय के पक्ष में लीजडीड निष्पादित की गयी। उक्त निष्पादित लीजडीड में अवधि का उल्लेख नही है। अवधि के सन्दर्भ में अंकित है कि "as long as the land is used for the purpose of the orphanage"। उक्त सम्पूर्ण भूमि कुल क्षेत्रफल बीघा—24—08—06—05 में से क्षेत्रफल बीघा 10—15—16—0 नजूल भूमि है तथा क्षेत्रफल बीघा 13—12—10—05 ट्रस्ट भूमि है।

तत्कालीन नगर महापालिका की विकास समिति के प्रस्ताव संख्या—9:10 दिनांक 25.02.1964 द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त उप समिति की बैठक दिनांक 20.03.1964 द्वारा अनुशंसा की गयी कि दयानन्द अनाथालय को दी गयी समस्त भूमि को अधिनियम के चौदहवी अध्याय के अन्तर्गत अर्जित कर लिया जाये और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाय।

गौड़िया मिशन द्वारा मन्दिर एवं आश्रम स्थापित किये जाने हेतु दो बीघा भूमि की मॉग की गयी थी, जिसके क्रम में दयानन्द अनाथालय को आवन्टित भूमि में से एक बीघा भूमि दिनांक 01.09.1964 को गौड़िया मिशन को आवासीय प्रयोजन हेतु उक्त प्रयोजन का प्रयोग किये जाने की अवधि तक के लिये दे दी गयी।

वर्ष 1980 में तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा उक्त पत्रावली मॅगायी गयी एवं अवलोकन के उपरान्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि दयानन्द अनाथालय, मोतीनगर की भूमि (जो ट्रस्ट की है) नगर के प्रमुख व केन्द्रीय स्थान पर स्थित है, जिसका कदाचित पूर्ण उपयोग नही हो रहा है। भूमि Orphanage बनाने हेतु दी गयी थी। इसका पट्टा 1931 में हुआ था। अनाथालय की कुल 24 बीघा, 08 बिस्वा, 06 विस्वांसी तथा 05 कचवांसी भूमि रू0 366/25 वार्षिक लीजरेन्ट पर दी गयी थी। कुल क्षेत्र के एक बीघा भूमि पर अनाथालय भवन बना है। शेष भाग खाली पड़ा है, जिस पर अनाथालय द्वारा किसी अन्य को सम्भवतः ठेके पर

Scanned with CamScanner

काश्तकारी कराई जा रही है। इस प्रकार संस्था लीज की शर्तों का एक प्रकार से उल्लंघन भी कर रही है।

आयुक्त महोदय के उपरोक्त अपेक्षा के क्रम में तत्समय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। प्रकरण में विधिक राय लिये जाने के पश्चात् दिनांक 14.11.1984 को रिक्त भूमि को अर्जित कर आवासीय योजना बनाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया था, तदक्रम में पत्रावली अभियन्त्रण एवं नियोजन विभाग में प्रेषित की गयी थी, किन्तु किसी कारण से अग्रेतर कार्यवाही नही की जा सकी।

प्रकरण में प्रस्तुत स्थलीय आख्यानुसार "उक्त भूखण्डो पर वर्तमान में अनाथ/बी0पी0एल0 परिवारों के बच्चो के लिये अनाथालय एवं हॉस्टल संचालित है। इस परिसर में मा0शि0प0 उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा–8 तक का स्कूल भी संचालित है, जिसकी एक अलग Building बना रखी है। परिसर में बच्चों के लिये भोजनालय/Dinning Hall का भवन तथा योग करने के लिये 02 बड़े हाल का निर्माण भी है। परिसर के भीतर एक गौशाला भी है, जिसमे लगभग 20 गाये पाली गयी है। परिसर के भीतर एक यज्ञशाला/खेल का बड़ा मैदान तथा एक बगीचा भी है, जिसमे विभिन्न फलदार वृक्ष लगे है। मुख्य मार्ग की तरफ एक कोने में लगभग एक बीघा क्षेत्रफल में 'गौड़िया मठ' का मन्दिर बना है। कुल परिसर का क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण पैमाईश सम्भव नही है।"

संस्था द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया गया, जिसमे श्रीमद् दयानन्द बाल सदन के नाम से अनाथालय चलाया जा रहा है। अधिकांश भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी हुयी है, जिस पर पेशबन्दी के तहत सब्जियॉ इत्यादि लगायी गयी थी, किन्तु विगत कई वर्षों के गूगल ईमेजिंग में यह पाया गया कि अधिकांश भूमि निष्प्रयोज्य ही पायी गयी। संस्था द्वारा इन निष्प्रयोज्य भूमि पर खेती किये जाने का साक्ष्य दर्शा रही है, जो असत्य व भ्रामक है।

स्थलीय आख्या में वर्तमान समय में लगभग 18 बीघा से अधिक भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है, जिसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उचित होगा कि लीज की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जाये और रिक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर ल0वि0प्रा0 द्वारा उपयोग में लाया जाये। ऐसे शर्तों के उल्लंघन पर

प्रकरण में उपरोक्तानुसार पट्टे में वर्णित शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुये पट्टा प्रयोजन के विपरीत प्रयोग किया जाना पाया गया तथा उक्त भूखण्ड संख्या–189, 189ए तथा 190 के पट्टे की शर्तों के विरूद्ध प्रयोग किये जाने के क्रम में पूर्व में नोटिस दी गयी और संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पूर्णतः अपर्याप्त पाये जाने के कारण निरस्त किया गया तथा पट्टे की शर्तों के विरूद्ध प्रयोग किये जाने हेतु लीज की शर्तो के अनुरूप पट्टादाता लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पुर्नप्रवेश कर कब्जा प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव इस सन्दर्भ में गठित समिति के प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.11.2019 को अनुमोदित कर दिया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर पुनर्प्रवेश कर कब्जा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्रीमद् दयानन्द बालसदन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ–लखनऊ के समक्ष रिट याचिका संख्या 35344/ एम0बी0/2019 श्रीमद् दयानन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमे मा0 न्यायालय से

Scanned with CamScanner

ल0वि0प्रा0 की कार्यवाही निरस्त किये जाने की याचना की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

2. On 30.12.2019, the petitioner filed an application before the Lucknow Development Authority to permit him to surrender the vacant land, which has been mentioned in paragraph 2 of that letter. The prayer has been made to surrender rest of the vacant land, which is of no use and also requested for grant of lease for a period of 90 years.

3. As the application dated 30.12.2019 is still pending, therefore, as prayed by learned counsel for the Lucknow Development Authority six weeks' time is granted to decide the said application.

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ–लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–35344/एम0बी0/2020 श्रीमद् दयानन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 द्वारा श्रीमद् दयानन्द बाल सदन द्वारा प्रस्ताव पत्र दिनांक 30.12.2019 पर छः सप्ताह में निर्णय लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

पूर्व में ल0वि0प्रा0 द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में आधे से अधिक भाग अनुपयोगी पाया गया था। प्रश्नगत भूखण्ड लखनऊ शहर के मध्य में स्थित ल0वि0प्रा0 की अत्यन्त बहुमूल्य सम्पत्ति है। यह भूमि ल0वि0प्रा0 हेतु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उचित होगा कि प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमादित किया जाय, जिससे ल0वि0प्रा0 उस क्षेत्र में नयी योजनाये ला सकता है।

श्रीमद् दयानन्द अनाथालय द्वारा प्रस्ताव दिनांक दिनांक 30.12.2019 के अनुसार हास्टल, रसोई, भोजनालय, स्कूल, योगा संध्या, प्रशिक्षण, इन्डोर खेल/मनोरंजन के लिये अलग–अलग हाल चार स्टोर, दो यज्ञशाला, स्टाफ क्वार्टरस, क्लीनिक, दो खेल के मैदान, बाल कल्याण समिति के लिये कक्ष आगंतुक कक्ष, गौशाला, चारगाह व खेत की व्यवस्था हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आख्यानुसार मा0 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

<u>प्रस्तावः</u>–

1. श्रीमद् दयानन्द अनाथालय द्वारा अपेक्षित भूमि के समतुल्य लगभग 1,40,537 वर्गफिट भूमि अनाथालय प्रयोजन हेतु 90 वर्ष की अवधि हेतु 30–30 वर्षीय दो नवीनीकरण के प्राविधान के साथ निर्धारित वार्षिक लीजरेन्ट रू0 .... में 30 वर्षो पश्चात् 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्राविधान के साथ पट्टे पर उपलब्ध करायी जाय।
2. 4,96,937 वर्गफिट भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाय।

Scanned with CamScanner

सचिव,

श्रीमद दयानन्द बाल सदन अनाथालय क्षेत्र के मुख्य कैम्पस स्थल में विभिन्न भवन बने हुए हैं, कुछ भवन के स्ट्रक्चर काफी दूर स्कैटर्ड एरिया में भी बने हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 270 वर्गमीटर है, जिन्हें आवेदक संस्था को अपने हर्जे–खर्चे पर हटाना होगा। केवल मुख्य कैम्पस स्थल में बने विभिन्न भवन के अन्तर्गत आने वाले भवनों का आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 4200 वर्गमीटर है। उक्त मुख्य कैम्पस में बने विभिन्न भवन भी काफी छितराये हुए बने हुए हैं। अतः उनके मध्य स्थित खुले क्षेत्र व भवनों के बाहर की ओर लगभग 03 मीटर चौड़ा क्षेत्र सैटबैक हेतु सम्मिलित करते हुए समग्र क्षेत्रफल लगभग 13061 वर्गमीटर होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र को छोड़ते हुए अवशेष क्षेत्र का कब्जा प्राप्त किये जाने की स्थिति में पीछे व साइड में बचे अवशेष क्षेत्रफल को उपयोगी बनाने हेतु उचित एप्रोच मार्ग की भी आवश्यकता होगी जिसे पट्टे पर दिये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रफल में से ही प्रस्तावित/समायोजित करना होगा। अतः अवशेष भूमि को उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग की आवश्यकता की भूमि को पट्टे हेतु प्रस्तावित उक्त क्षेत्रफल की भूमि में समायोजित करने की शर्त के साथ उपरोक्तानुसार लगभग 13061 वर्गमीटर भूमि को छोड़ते हुए अवशेष भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु विचार किया जा सकता है।

15/02/2020
K.P. Gupta

15/2/2020
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

15.2.2020
(जहीरुद्दीन)
अधि०अभि०-6

Scanned with CamScanner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGEND:-

BUIDING	(hatched)	ELECTRIC POLE	⊘	TREE	⊛
BOUNDARY WALL	(box)	TIN SHED	(hatched)	EXISTING ROAD	(double line)

CLIENT: Sirmad Dayanand Bal Sadan Moti Nagar Lucknow	TITLE:	SITE - PLAN		CONSULTANTS: Navya Enterprises Topographical Survey & services Building Construction & lay out
	SCALE:	1:500	DATE JUN 2020	
	DRG NO.			

Site survey.

(signature) JE

(जहीरुद्दीन)

15/7/2020
मुख्य नगर नियो...
लखनऊ विकास प्राधि...
लखनऊ

Scanned with CamScanner

Court No. - 1

Case :- MISC. BENCH No. - 35344 of 2019

Petitioner :- Shrimad Dayanand Bal Sadan Moti Nagar Lko.Thru. Secy.
Respondent :- State Of U.P.Thru.Secy.Nagar Vikash Civil Sectt.Lucknow &Ors
Counsel for Petitioner :- Yogesh Chandra Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ratnesh Chandra

Hon'ble Pankaj Kumar Jaiswal,J.
Hon'ble Narendra Kumar Johari,J.

1. Heard Shri Asit Chaturvedi, learned Senior Counsel assisted by Shri Y.C. Srivastava, learned counsel for the petitioner, Shri S.S. Chauhan, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondent no.1 and Shri Ratnesh Chandra, learned counsel for the respondent no.2 and 3-Lucknow Development Authority.

2. On 30.12.2019, the petitioner filed an application before the Lucknow Development Authority to permit him to surrender the vacant land, which has been mentioned in paragraph 2 of that letter. The prayer has been made to surrender rest of the vacant land, which is of no use and also requested for grant of lease for a period of 90 years.

3. As the application dated 30.12.2019 is still pending, therefore, as prayed by learned counsel for the Lucknow Development Authority six weeks' time is granted to decide the said application.

4. List after six weeks.

Order Date :- 14.1.2020
Arnima

(Narendra Kumar Johari, J.) (Pankaj Kumar Jaiswal, J.)

Scanned with CamScanner

श्रीमद्दयानन्द बालसदन, मोतीनगर, लखनऊ–4

(पंजीकृत सोसायटीज एक्ट XXI 1860 / 6902)

1777/
10/01/2020
08

क्रमांक : 316 / एल.डी.ए. / 19 4276/VC/20 07/1/20 दिनांक : 31 / 12 / 2019

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः–श्रीमद दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर, लखनऊ द्वारा मवैया योजना स्थित भूखण्ड सं0 288, 189ए एवं 190 को वापस प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

J.S.

संदर्भः– पत्रांक–252 / तह.ट्रस्ट / 18 दिनांक 14.11.2018, इस कार्यालय का पत्रांक–277 / एल.डी.ए. दिनांक 29.11.2018, आपका पत्रांक–500 / तह. ट्रस्ट / 19 दिनांक 10.05.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–293 / एल.डी.ए. दिनांक 16.05.2019.

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की नोटिस पत्र संख्या–826 / तह. दिनांक 07.12.2019 जो इस संस्था को दिनांक 11.12.2019 को प्राप्त हुआ है, श्रीमद् दयानन्द बाल सदन (अनाथालय) को आवंटित भूखण्ड को 15 दिवस के भीतर समर्पित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त नोटिस में उल्लेखित बिन्दुओं एवं एग्रीमेन्ट शर्तों का पूरा पालन करने का सन्दर्भित पत्रों द्वारा उत्तर दिया जा चुका है।

संस्था के उपमंत्री श्री अजय प्रकाश को दिनांक 30.12.2019 को आपके कार्यालय में हुये वार्ता के क्रम में सूचित करना है कि वर्तमान में अनाथालय में महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 से 50 बालक व 50 बालिका (कुल 100 बच्चों) रखने की स्वीकृति है, तदानुसार बच्चे रखे जाते हैं। इन बालक व बालिकाओं के लिये हास्टल, रसोई, भोजनालय, स्कूल, योगा संध्या, प्रशिक्षण, इन्डोर खेल / मनोरंजन के लिय अलग अलग हाल, चार स्टोर, दो यज्ञशाला, स्टाफ क्वार्टरस्, क्लीनिक, दो खेल के मैदान, बाल कल्याण समिति के लिये कक्ष, आगंतुक कक्ष, गौशाला, चारागाह व खेत की व्यवस्था है, तदानुसार भूमि की आवश्यकता है।

विषयगत भूखण्डों में से उपरोक्त आवश्यक भूमि व उन पर बने भवनों के अतिरिक्त भूमि संस्था समर्पण करने को तैयार है। साथ ही उक्त आवश्यक भूमि को आगामी 90 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार बाउन्ड्री भी बनवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

Tah.

SD

ओमेश्वरी
(ओमेश्वरी)
अध्यक्ष
श्रीमद् दयानन्द, बालसदन
मोतीनगर, लखनऊ-4

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–ट्रस्ट, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ को उक्त नोटिस के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

137/तह.ट्रस्ट/20
13/1/20

(ओमेश्वरी)
अध्यक्ष
श्रीमद् दयानन्द, बालसदन
मोतीनगर, लखनऊ-4

Scanned with CamScanner

प्रस्तावः श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तुः श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार मुँह के कैंसर की गम्भीर बीमारी का इलाज एशियन कैंसर इन्सटीट्यूट में कराया गया साथ ही अपनी पत्नी श्रीमती आशा सिंह एवं पुत्र श्री अरुण प्रताप सिंह की चिकित्सा पर कुल व्यय धनराशि रु0–8,75,764.00 मात्र प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु व्यय बाऊचर्स प्रस्तुत किये गये जिसे कार्यालय पत्र संख्या–2040/सा0प्र0 दिनांक 08.02.2019 को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–मु0चि0आ0/चि0प्रा0पूर्ति0/2019/1815 दिनांक 25.02.2019 द्वारा परीक्षणोपरान्त कुल रु0–7,58,152.00 (रुपये सात लाख अट्ठावन हजार एक सौ बावन) मात्र के प्रतिपूर्ति भुगतान की संस्तुति की गयी तथा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र तद्नुसार प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राप्त कराया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 के विषय संख्या–17 में लिए गये निर्णय **"सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया साथ ही रु0–5.00 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया"।**

उपरोक्त निर्णय के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की 165वीं बैठक दिनांक 30.07.2019 में प्रस्ताव रखा गया जिसमें विषय संख्या–14 में निर्णय लिया गया कि **"सम्यक् विचारोपरान्त व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रु0–5.00 लाख से अधिक है, तो यह देख लिया जाय कि अनुमोदन का सक्षम स्तर क्या होगा और उक्त शासनादेश के अनुसार यदि इसका अधिकार बोर्ड में है तो शासनादेश की धारा का उल्लेख करते हुए उक्त का अनुमोदन किये जाने पर एन0ओ0सी0 दी गयी परन्तु यदि अधिकार शासन में हो तो शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन में अनुमोदन के लिए भेजा जाय"।**

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या–92/सा0प्र0/19 दिनांक 25.09.2019 द्वारा प्रकरण आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–179/आठ–7–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। साथ ही निदेर्शित किया गया कि **"श्री राम प्रताप सिंह लेखाकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें"।**

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2020 के अनुपालन में श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार एवं उनके परिवार के चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रु0–7,58,152.00 (रुपये सात लाख अट्ठावन हजार एक सौ बावन) मात्र के प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुपूरक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
... प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

संख्या– [illegible] /आठ–7–20

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय : श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–92/सा0प्र0/2019 दिनांक 25.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)(प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

7.2.2020

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव

10/2/2020

Scanned with CamScanner

लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ

प्रेषकः–	सेवा में,
प्रभारी अधिकारी–अधिष्ठान लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियो अनुभाग–07, उत्तर प्रदेश शासन। लखनऊ।
संख्याः 921/मि॰ 55/19	
दिनाँकः 25/9/19	नत्थी..................................

विषय

श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का इनके पुत्र की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राम प्रताप सिं केन्द्रीयित सेवा के कार्मिक है। श्री राम प्रताप सिंह कैंसर की गम्भीर बीमारी जिसकी चिकित्सा इनके द्वारा एशियन कैंसर इन्स्टीट्यूट, मुम्बई में कराई गर एवं बच्चो की भी आवश्यकतानुसार चिकित्सा करायी गयी। स्वयं की चि अपनी पत्नी श्रीमती आशा सिंह एवं पुत्र श्री अरूण प्रताप सिंह की चिकि व्यय धनराशि रू0–8,75,764.00 मात्र प्रतिपूर्ति किये जाने का देयक प्रस्तुत मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–मु0 चि0 अ0/ चि0 2019–1815 दिनॉक 25.08.2019 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर देय ध रू0–7,58,152.00 (रू0–सात लाख अठ्ठावन हजार एक सौ बावन मात्र) प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की गई तथा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र तद्नुसार प्रतिहस्त हुए विभाग को प्राप्त कराया गया, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

श्री सिंह द्वारा स्वंय एवं अपने परिवार के चिकित्सा पर किये ग रू0–7,58,152.00 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:–

"सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक निर्देश दिये गये कि चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0–5 लाख से अधिक है लिया जाए कि अनुमोदन का सक्षम स्तर क्या होगा और उक्त शासनादेश यदि इसका अधिकार बोर्ड में है तो शासनादेश की धारा का उल्लेख करते अनुमोदन किये जाने पर एन0ओ0सी0 दी गयी परन्तु यदि अधिकार शास शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन में अनुमोदन के लिए भे

उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा अधिसूच 474/पॉच–6–14–1082/87टी0सी0 दिनॉक 04.03.2014 द्वारा प्रख्यापित उ सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 के अन्तर्गत रू(से 10.00 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति द्वावा स्वीकृति करने का अधिका प्रशासकीय विभाग (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) में निहित है।

Scanned with CamScanner

अतः श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार जो कैंसर की बीमारी से ग्रसित है, को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रू0–7,58,152.00 (रू0–सात लाख अट्ठावन हजार एक सौ बावन मात्र) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे। प्रश्नगत धनराशि का व्यवभार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाना है।

संलग्नक–मुख्य चिकिताधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति की छायाप्रति।

भवदीय

(राजीव कुमार सिंह)
प्रभारी अधिकारी–अधिष्ठान

Scanned with CamScanner

ा चिकित्सा अधिकारी
नऊ।

हस्ताक्षर-(अधिष्ठान),
स्वास्थ्य विकास भवन,
... गोमती नगर, लखनऊ।

चि0अ0/चि0प्र0पूर्ति0/ 2019/ 1815 दिनांक 25.2.19

श्रीमती/कु0 राम प्रताप सिंह, की पत्नी एवं पुत्र आरव ....की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के न्ध में।

त विषयक आपके पत्र संख्या 2040 .... दिनांक 18/02/019 ....के
त कराना है कि श्री/श्रीमती/कु0 आशा सिंह, पुत्र आरव प्रताप सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी/माता/पिता
प्रताप सिंह (नि0, पु0, प0) ....द्वारा चिकित्सा प्रतिष्ठान/संस्थान Dr. Vivek Kumar Garg ... N. Savant, Dr. D.P. Singh, Asian Cancer Institute, Mumbai
04/017 ....से 23/11/018 ....तक .... Carcinoma ....रोग
ाया गया है, जिस पर हुए व्यय ₹ (1) 1,76,624=00, (2) 5,66,624=00,
...78=00, (4) 21,992=00, (5) 35,466=00, (कुल) = 8,75,764.00 ....
कनीकी परीक्षण उपरान्त देय धनराशि को किये जाने हेतु प्रेषित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 की अधिसूचना संख्या : 2275/5–6–11–1082–07 .2011 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सवेक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 की अधिसूचना संख्या : ·14–1082 / 87 टीसी दिनांक 04 मार्च 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर ी0आई0, लखनऊ तथा प्रदेश के बाहर ए0आई0आई0एम0एम0 (एम्स) नई दिल्ली की देय दरों के अनुसार तकनीकी ा धनराशि कुल ₹ (1) 1,59,577.00 (2) 4,73,029.00 (3) 7351.00 (5) 19292.00
17360.00 कुल ₹ 7,58,152.00 .... मात्र
तेपूर्ति हेतु संस्तुति की जाती है। अनिवार्यता प्रमाण पत्र तदनुसार प्रतिहस्ताक्षरित है।
अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर मूल रूप से प्रेषित है।
रोक्तानुसार (दावा मूल रूप में)

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

अ0/चि0प्र0पूति0/20 / तद्दिनांक
लेखित को सूचनार्थ प्रेषित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

Scanned with CamScanner

विषय— भूखण्ड सं0—221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम—बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

आख्या—

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2019 के विषय सं0—166/25 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :—

"सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।"

उपरोक्तानुसार बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरंण के पत्र सं0—841/सी0टी0पी0/2019, दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया था। तद्क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्रांक—2918/व0नि0—1/लखनऊ महायोजना—2019—20 दिनांक 17.02.2020 (छायाप्रति अनुलग्नक—1 पर संलग्न) के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया गया है :—

"(1)— इस विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत टिप्पणी के अनुसार मौके पर पेट्रोल पम्प वर्ष—1978 से संचालित होना बताया गया था। लखनऊ महायोजना—2021 में संदर्भित स्थल पी—1 (पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी) के अन्तर्गत था, जिसमें जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार पेट्रोल पम्प क्रियायें विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुमन्य थीं, परन्तु वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना—2031 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू—उपयोग पार्क एवं खुले स्थल है, जो जोनिंग रेगुलेशन्स में मनोरंजन—2 में पड़ता है एवं जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पम्प क्रियायें निषिद्ध रखी गयी हैं। उक्त के क्रम में वर्तमान में संचालित पेट्रोल पम्प का वर्ष 1978 से संचालित होने की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—16 के अन्तर्गत (स्पॉट जोनिंग के आधार पर) कार्यरत व संचालित रहने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 21.09.1978 को निरापत्ति प्रदान की गयी थी तथा एक्प्लोसिव डिपार्टमेन्ट का लाईसेन्स भी दिनांक 08.10.1978 को भी पूर्व में प्रदान किया गया है। विद्युत का बिल भी प्रस्तुत है, जो दिनांक 07.12.1970 का है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पेट्रोल पम्प वर्ष 1978 से स्थापित है।

Scanned with CamScanner

(3)– आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड में कोई अन्य निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व लखनऊ महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानानुसार विचार किया जा सकता है।

(4)– नए प्रस्ताव को स्वीकृति के समय चूँकि पूर्व में मानचित्र से सम्पूर्ण शुल्क न जमा किये जाने के कारण निरस्त किया गया था, के दृष्टिगत वर्तमान में आरोपित धनराशि में से पूर्व में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि को ब्याज सहित जमा करा कर नए प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है।''

अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी राय के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव :

उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक–2918/व.नि.–1/लखनऊ महायोजना/2019–20, दिनांक 17.02.2020 के द्वारा प्रदान की गयी राय के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

16

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांक 2918 / व.नि.–1 / लखनऊ महायोजना / 2019–20 दिनांक 17 / 02 / 2020

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

1136/CTP/20
17-02-2020

विषयः खसरा सं0–221स, निकट टी.वी. टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–841 / सी.टी.पी. / 2019 दिनांक 19.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें खसरा सं0–221स, निकट टी.वी. टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2019 के मद सं.–166 / 25 में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के कम में प्रकरण पर अभिमत प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की 166वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2016 में प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव रखा गयाः–

उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में पक्ष द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन के समय प्रभावी महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल 'पी–1' श्रेणी 'पार्क एवं खुले स्तर / हरित पट्टी' के अन्तर्गत अंकित था। तत्समय जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार सन्दर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प कियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी में होने के कारण मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यवाही की गयी थी। पक्ष से प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि में से वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि जमा नहीं की गयी। वर्तमान में पक्ष से उक्त धनराशि को ब्याज सहित जमा कराते हुए पेट्रोल पम्प किया के नियमितीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

T.P./EE-4

उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि :– सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(1)– इस विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत टिप्पणी के अनुसार मौके पर पेट्रोल पम्प वर्ष 1978 से संचालित होना बताया गया था। लखनऊ महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल पी–1 (पार्क एवं खुले स्थल / हरित पट्टी) के अन्तर्गत था, जिसमें जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार पेट्रोल पम्प कियायें विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुमन्य थीं, परन्तु वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले

A.E. Sanjay Jindal

Scanned with CamScanner

स्थल है, जो जोनिंग रेगुलेशन्स में मनोरंजन–2 में पड़ता है एवं जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पम्प कियायें निषिद्ध रखी गयी हैं। उक्त के कम में वर्तमान में संचालित पेट्रोल पम्प का वर्ष 1978 से संचालित होने की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अन्तर्गत (स्पॉट जोनिंग के आधार पर) कार्यरत व संचालित रहने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 21.09.1978 को निरापत्ति प्रदान की गयी थी तथा एक्प्लोसिव डिपार्टमेंट का लाईसेंस भी दिनांक 08.10.1978 को भी पूर्व में प्रदान किया गया है। विद्युत का बिल भी प्रस्तुत है, जो दिनांक 07.12.1978 का है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पेट्रोल पम्प वर्ष 1978 से स्थापित है।

(3)– आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड में कोई अन्य निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व लखनऊ महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानानुसार विचार किया जा सकता है।

(4)– नए प्रस्ताव को स्वीकृति के समय चूँकि पूर्व में मानचित्र से सम्पूर्ण शुल्क न जमा किये जाने के कारण निरस्त किया गया था, के दृष्टिगत वर्तमान में आरोपित धनराशि में से पूर्व में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि को ब्याज सहित जमा करा कर नए प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है।

भवदीय,

17/02/2020

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

Scanned with CamScanner

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें:—

उपस्थिति:—

01.	श्री अभिषेक प्रकाश	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	सुश्री अपूर्वा दुबे	विशेष सचिव, प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि—सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
06.	श्री सुनील चौधरी	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
08.	श्री बी0एल0 गौतम	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
09.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।
10.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रतिनिधि—अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति:—

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भटनागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री संदीप श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:—

मद सं0	विषय	निर्णय
166/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या—7, 8 एवं 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या—2 में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 के क्रम में पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
166/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
166/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट—नो लॉस" एवं शासन की

Scanned with CamScanner

	से पिपरा घाट तक बन्धा निर्माण किये जाने एवं उक्त कार्य के बजट, सिंचाई विभाग को प्रेषित करने तथा दिनांक 21.12.2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में संशोधन के क्रम में जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई समिति के निस्तारण उपरान्त उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	तथा शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/19	रेलवे लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटी (RLDA) के प्रस्तुत मानचित्रों के भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त महायोजना प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/20	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मै0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलाल गंज, लखनऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/21	नियोजन अनुभाग में 02 सहायक नगर नियोजक के समकक्ष एवं एक जी0आई0एस0 प्रशिक्षित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/22	मानसरोवर योजना के सेक्टर–ओ अन्तर्गत 04 आवासीय भूखण्डों तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सीपी–1 (क्षेत्रफल–1040.62 वर्गमी0) के इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/23	इण्डिस्ट्रियल योजना, ऐशबाग, लखनऊ के भूखण्ड सं0–09, 09ए तथा 10ए में सम्मिलित कुल भूमि क्षेत्रफल–2,91,896.00 वर्ग फिट अर्थात 27127.86 वर्गमी0 का भू–उपयोग पूर्व योजना के तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/24	कानपुर रोड योजना, सेक्टर–जी के अन्तर्गत एस0एस0 श्रेणी के भूखण्ड संख्या– 997 से 1027 भूमि का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/25	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
166/26	शहीद पथ पर पी0पी0पी0 मोड पर विकसित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा संकुल व क्रिकेट अकादमी योजना में भू–उपयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग की चौड़ाई में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

		प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र/आख भी प्राप्त कर ली जाय और उसे पत्रावली सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर बनाया जाय।
166/32	जानकीपुरम योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए तथा सी–1/362ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया
166/33	जनपद–लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गय इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तद्नुस मान्यता प्रदान की गई।
166/35	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या– SSE–87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/36	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मस्तेमऊ व बक्कास जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

8/11/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित
11/XI/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

विषय संख्या–25 पृष्ठ सं0–

विषय– भूखण्ड सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

आख्या–

श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 15.03.2004 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि पक्ष के कथनानुसार वर्ष 1987 से पंकज सर्विस स्टेशन के नाम चल रहा है। तत्क्रम में संदर्भित स्थल लखनऊ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टिका में विशेष अनुमति से अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन के निर्देश पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2006 के विषय सं0–10 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :–

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये।" (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न)

उपरोक्तानुसार बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं0–38/परि0स0अ0(भवन–2), दिनांक 19.10.2006 द्वारा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया। तद्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–5890/ 8–3–06–20 एल0यू0सी0/2005, दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.03.2007 को स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। जिसके क्रम में आवेदक द्वारा प्राधिकरण के पत्रांक–आर–38/प्रभारी अधि. (भवन–2) दिनांक 05.04.2007 (छायाप्रति अनुलग्नक–2 पर संलग्न) के माध्यम से विभिन्न मदो को निम्नवत् धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी:–

क्र.सं.	शुल्कों का विवरण	प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र के अनुसार शुल्क	पक्ष द्वारा जमा किये गये शुल्क
1.	निरीक्षण शुल्क	रू0 5200/–	रू0 5200/–
2.	सुदृढीकरण शुल्क	रू0 26,800/–	रू0 26,800/–
3.	शमन शुल्क	रू0 24,800/–	रू0 24,800/–
4.	वाह्य विकास शुल्क	रू0 22,08,350/–	–
5.	प्रभाव शुल्क	रू0 6,89,900/–	–

उक्त धनराशि में से आवेदकर्ता द्वारा निरीक्षण शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क, शमन शुल्क प्राधिकरण कोष मे जमा की गयी थी। वाह्य विकास शुल्क व प्रभाव शुल्क

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण कोष में जमा न होने के कारण उक्त मानचित्र निर्गत नहीं हुआ। पक्ष द्वारा शुल्कों को जमा न करने के कारण मानचित्र निरस्त कर दिया गया।

पुनः वर्तमान में श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 04.02.2016 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक श्री सुधीर बोरा द्वारा दिनांक 27.04.2016 को प्राधिकरण में एक प्रत्यावेदन (अनुलग्नक–3 पर संलग्न) देते हुए अवगत कराया गया कि वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि पारिवारिक कारणोंवश प्राधिकरण में जमा नहीं करायी जा सकी। शुल्कों को जमा कराने हेतु उचित ब्याज की गणना से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत पी–1 श्रेणी पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी थी जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार संदर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुमन्य थी किन्तु वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल है जिसमें जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प क्रिया निषिद्ध है (छायाप्रति अनुलग्नक–5 पर संलग्न)। इस सम्बन्ध में प्रकरण पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक–163/व.नि.–1,/लखनऊ महायोजना/2018–19, दि. 26.04.2018 (छायाप्रति अनुलग्नक–4 पर संलग्न) के माध्यम से निम्नवत् अभिमत उपलब्ध कराया गया है :–

1. लखनऊ महायोजना–2031 के अनुसार प्रश्नगत स्थल पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है।
2. शासनादेश संख्या–3125/9–आ–9–2003–6महा./2003टीसी, दिनांक 20.08.2003 की व्यवस्थानुसार नई महायोजना तैयार करते समय पूर्व महायोजना में दर्शाये गये पार्क एवं हरित पट्टिका की भूमि को यथावत् रखे जाने के निर्देश हैं। जिसके अनुपालन में लखनऊ महायोजना–2021 में दर्शित प्रश्नगत स्थल (पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टिका भू–उपयोग) को यथावत रखते हुए लखनऊ महायोजना–2031 में पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत रखा गया है।
3. "लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 22.02.2018 में उल्लिखित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत पेट्रोल पम्प वर्ष–1978 से संचालित होना बताया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प यदि नियमित है तो उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर कार्यरत पेट्रोल पम्प को कुछ शर्तो के साथ कार्यरत रहने देने पर प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जा सकती है।"

उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम की अधिसूचना सं0–3923/XXXVII-2-4-(DA)-72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974 के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण के पत्र सं0–436/सचिव/मु0न0नि0/2018–19, दिनांक 22.12.2018 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रकरण में शासन का मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–205/8–3–19–20विविध/2019, दिनांक 13 मार्च, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि ''मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–163/व0नि0–1/लखनऊ महायोजना/2018–19, दिनांक 26.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमतानुसार नियमानुसार यथावश्यक कार्यवाही कराने का का कष्ट करें।''

पक्ष द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन के समय प्रभावी महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल 'पी–1' श्रेणी 'पार्क एवं खुले स्तर/हरित पट्टी' के अंतर्गत अंकित था। तत्समय जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार सन्दर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी में होने के कारण मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि में से निरीक्षण शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क, शमन शुल्क की जमा की गयी, शेष वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं की गयी।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों के दृष्टिगत परिसर के नियमितीकरण के क्रम पक्ष से प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि में से वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि को ब्याज सहित जमा कराते हुये पेट्रोल पम्प क्रिया के नियमितीकरण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव :

उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में पक्ष द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन के समय प्रभावी महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल 'पी–1' श्रेणी 'पार्क एवं खुले स्तर/हरित पट्टी' के अंतर्गत अंकित था। तत्समय जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार सन्दर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी में होने के कारण मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की गयी थी। पक्ष से प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि में से वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि जमा नहीं की गयी। वर्तमान में पक्ष से उक्त धनराशि को ब्याज सहित जमा कराते हुये पेट्रोल पम्प क्रिया के नियमितीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

मद संख्या :—

विषय :— पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

कृपया **पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने के सम्बन्ध में** अनु सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1083/आठ–4–2019 दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री कर्ण सिंह, (व्यवस्थापक) उद्यान, को स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्को व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति लखनऊ को लखनऊ विकास प्राधिकरण में औद्यानिक कार्य हेंतु तकनीकी स्टाफ की कमी के दृष्टिगत एवं इनका वेतनमान, प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी पद के समतुल्य होने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण में समायोजित किये जाने हेतु नियमानुसार परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि श्री कर्ण सिंह द्वारा दिनांक 12.01.2018 को लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। शासन की वर्तमान नीति के अर्न्तगत हरित क्षेत्रों में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यावरण सुधार एवं संतुलन के कार्यो को उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाना आवश्यक है लेकिन उद्यान सम्वर्गीय पदो का अभाव है। उक्त को दृष्टिगत उद्यान सम्वर्गीय सन्तुलन स्थापित किया जाना अपेक्षित है, जिससे प्राधिकरण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं संतुलन के कार्यो को उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित किए जायें। श्री कर्ण सिंह की कार्यशैली, ज्ञान उच्च कोटि का है, पूर्व में किये गये कार्य सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। श्री सिंह द्वारा उ0प्र0 इन्वेस्टर समिट के दौरान कम समय में तथा प्राधिकरण व्यय में बचत कराते हुए लखनऊ के सौन्दर्यीकरण हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, तथा खाली पड़े चौराहों एवं सड़क किनारे हरित पट्टी का विकास किया गया, जिसके लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वर्तमान में गोमती रिवर फ्रन्ट परियोजना के विकास एवं अनुरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार करने व कम दरों पर उच्च गुणवत्ता से कार्य कराये जाने हेतु हार्टीकल्चर दरों का मूल्यांकन कर प्राधिकरण की नयी हार्टीकल्चर डी.पी.आर. तैयार कराने में इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और रिवर फ्रन्ट के विकास एवं अनुरक्षण के कार्यो के निष्पादन में तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान समय में प्राधिकरण द्वारा विकसित समस्त प्रमुख पार्को/हरित पट्टियों के औद्यानीकरण एवं अनुरक्षण कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण का कार्य ससमय पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा छः स्थलों पर उद्यान नर्सरी की स्थापना करते हुए पौध संवर्धन का कार्य भी श्री कर्ण सिंह द्वारा

(एस० पी० शिशौदिया)
उप निदेशक (उद्यान)

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

किया जा रहा है इसके साथ ही विभिन्न पुष्प एवं शाकभाजी प्रर्दशनियों में प्राधिकरण की ओर से प्रतिभाग करते हुए वर्ष 2019 में सर्वाधिक पुरूस्कार प्राधिकरण को प्राप्त हुए। श्री कर्ण सिंह के उच्च कोटि का ज्ञान, विशिष्ट अनुभव, कार्यकुशलता, प्रशासनिक क्षमता एवं प्राधिकरण में औद्यानिक कार्य हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी के दृष्टिगत इनको प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना प्राधिकरण हित में है। इनका वेतनमान प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी पद के वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200 के समतुल्य है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता पद के अनुरूप है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि श्री एस0पी0 शिशौदिया, उपनिदेशक उद्यान दिसम्बर, 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे है। उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्राधिकरण के समस्त पार्कों व हरित पट्टियों के रख–रखाव का कार्य अत्यन्त दुरूह हो जायेगा, क्योंकि वर्तमान में प्राधिकरण में श्री शिशौदिया के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी उद्यान अनुभाग में नहीं है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त पार्कों एवं हरित पट्टियों के रख–रखाव का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल सके। वर्तमान में एक सहायक उद्यान अधिकारी श्री ओमपाल प्राधिकरण में तैनात अवश्य हैं, किन्तु उद्यान अनुभाग में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा 18 नजूल पार्क व विभिन्न क्षेत्रों में हरित पट्टियों का अनुरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनेश्वर मिश्र पार्क जो 376 एकड़ में स्थापित है, का अनुरक्षण शासन से प्राप्त कार्पस फण्ड से किया जा रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त समस्त कार्यों का सम्पादन एक सहायक उद्यान अधिकारी स्तर से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भविष्य में प्राधिकरण के उद्यान अनुभाग में गुरूतर दायित्वों के निर्वहन हेतु किसी ऐसे कार्मिक को रख लिया जाय, जो उपरोक्त कार्यों का सम्यक निर्वहन भली–भांति कर सके और लखनऊ जैसे राजधानी शहर में विभिन्न उच्च स्तरों से प्राप्त आदेशों/निर्देशों का यथा–समय अनुपालन/क्रियान्वयन कर सके।

अतः उपरोक्तानुसार श्री कर्ण सिंह, को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

28/8

(एस0 पी0 शिशौदिया)
उप निदेशक (उद्यान)

(इन्दु शे०खर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

संख्या–1083/आठ–4–2019

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2019**

विषयः **पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग, लखनऊ के पत्र दिनांक 02.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री कर्ण सिंह के औद्यानिकरण कार्य का उच्चकोटि की तकनीकी ज्ञान, विशिष्ट अनुभव, कार्यसमन्वय, कुशल व्यवहार, प्राधिकरण में औद्यानिक कार्य हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी के दृष्टिगत एवं इनका वेतनमान, प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी पद के समतुल्य होने के कारण श्री सिंह को स्मारक समिति से ल0वि0प्रा0 में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित किये जाने का अनरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

24.10.19

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह

उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग

1006, दसवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2288390
मोबाइल : 9415607417, 9793838439

प्राप्त सी० एम० - 2

2019

सेवा में, आख्या

परमपूज्य महाराज जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव, आवास
कृपया परीक्षणोपरान्त
पत्रावली पर आख्या की
अपेक्षा की गई है
(अतुल प्रताप सिंह)

विषयः— पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति से प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने के सन्दर्भ में करबद्ध निवेदन।

आदरणीय परमपूज्य महाराज जी,

सविनय करबद्ध निवेदन है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी 2018 से कार्यरत पारिवारिक सदस्य श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण मे सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। श्री कर्ण सिंह के औद्यानिकरण कार्य का उच्चकोटि की तकनीकी ज्ञान, विशिष्ट अनुभव, कार्यसमन्वय, कुशल व्यवहार, प्राधिकरण में औद्यानिक कार्य हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी की दृष्टिगत एवं इनका वेतनमान पे–बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) ग्रेड पे–4200 प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी पद के समतुल्य होने के कारण श्री सिंह को स्मारक समिति से ल0वि0प्रा0 में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने हेतु उपनिदेशक (उद्यान) ल0वि0प्रा0 द्वारा प्रबल संस्तुति प्रदान करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता ल0वि0प्रा0 एवं उपाध्यक्ष महोदय (ल0वि0प्रा0) द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। श्री सिंह द्वारा वर्तमान में प्राधिकरण में समस्त औद्यानिक कार्य का सम्पादन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, कुछ निम्नानुसार प्रमुख हैं जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवर फ्रन्ट, नजूल के समस्त 18 पार्क, गोमती नगर विस्तार के पार्क आदि प्रमुख पार्क है। इनके द्वारा वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम 2018 में लगभग एक लाख पौधरोपण एवं वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम 2019 में शासन द्वारा निर्धारित साठ हजार पौधरोपण के सापेक्ष लगभग बयासी हजार पौधरोपण एवं शतप्रतिशत जियोटैगिंग करने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। शासकीय कार्यो में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उपनिदेशक उद्यान एवं इवेस्टर्स समिट में उत्कृष्ट कार्य हेतु उपाध्यक्ष महोदय, ल0वि0प्रा0 द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कर्ण सिंह अत्यन्त मेधावी रहे हैं स्नातक में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु महामहिम राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इनकी ख्याति अच्छी है पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण राष्ट्रीय समाचार पत्र में इनकी सराहना की गयी।

अतः पर्यावरण संरक्षण, संतुलन, प्राधिकरण एवं प्रदेश हित में विशेषकर पूर्वांचल के विकास के लिए श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर समायोजित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

80

CRC0000737645688

सेवक

अतुल
2-9-19

जसवन्त सिंह 'अतुल सिंह'